P P/ A P P

Meeting Proceeding

Year 2007



Confi. Sec., Patna

दिनांक 13.01.2007 को समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित लोक अभियोजक / अपर लोक अभियोजक के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही ।

1. उपस्थिति :– यथा पंजी के अनुसार

2. विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन का प्रेषणः

कुछ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक से विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रतिवेदन संकलित कर **Annexure-A** पर संलग्न है। जिला पदाधिकारी ने यह निदेश दिया था कि लोक अभियोजक अगले वर्ष के माह जनवरी से नया प्रपत्र परिचारित करेगें। ताकि समीक्षात्मक बैठक हेतु समेकित प्रतिवेदन तैयार किया जा सके। नया प्रपत्र प्रभारी लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपर जिला दण्डाधिकारी ने यह निदेश दिया कि निर्धारित बैठक से पाँच दिन पूर्व में प्रतिवेदन विधि शाखा, में समर्पित करे ताकि सामेकित प्रतिवेदन तैयार किया जा सके।

(अनुपालन– सभी लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक)

3.वादों का अपर लोक अभियोजकवार आवंटनः

प्रभारी लोक अभियेाजक बैठक में उपस्थित नहीं हो सकें। अतः अपर लोक अभियोजकवार वृद वादों का बटवारा का समीक्षा नहीं हो पायी । विगत बैठक में लोक अभियोजक ने बताया था कि उनके कार्यालय में अभिलेखों के रख–रखाव एवं आसूचना पद्धति को अद्यतन करने हेतु कम्प्यूटर सहित ऑपरेटर की आवश्यकता है, जिसके लिए लोक अभियोजक इस सम्बंध में लिखित प्रस्ताव जिला पदाधिकारी को देंगें जो अबतक अप्राप्त है। कई न्यायालयों में बिना लोक अभियोजक को जानकारी दिये हुए अपर लोक अभियोजक द्वारा स्वयं भी केस सरकार की ओर से लड़ा जा रहा है, जो उचित नहीं है। इस पर रोक लगााने का प्रयास किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में यह निदेश दिया गया था कि प्रभारी लोक अभियोजक एक पत्र तुरंत जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निर्गत करेगें कि वैसें अपर लोक अभियाजक जों अधिकृत नहीं है, उनके द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से किये गये पैरवी को अनाधिकृत पैरवी या अनाधिकृत रूप से कार्य करते हुए माना जाय, क्योंकि यदि इसे रोका नहीं जायगा तो अराजक स्थिति हो जायगी। अभी तक लोक अभियोजक द्वारा कृत कार्रवाई से जिला विधि शाखा, अवगत नहीं कराया गया है।

उपस्थित अधिवक्ताओं ने यह बताया कि कुछ अधिवक्ताओं के मरने या सेवा निवृत्त होने के बाद अभिलेखों के प्रभार का आदान–प्रदान नहीं हो पाता है। यह निर्णय लिया गया कि लोक अभियोजक इसे सुनिश्चित करायेंगे।

(अनुपालन– प्रभारी लोक अभियोजक)

4. फास्ट ट्रैक कोर्ट में किये जाने वाले कार्य का भुगतानः

इस संबंध में यह निदेश दिया गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जा रही है, पैरवी के विपत्र के भुगतान हेतु समाहर्ता के स्तर से सरकार को अनुरोध किया जाय। पिछले बैठक में सभी लोक अभियोजक/ अपर लोक अभियोजक से एक लिखित मांग–पत्र की मांग की गयी थी, जो अबतक अप्राप्त है।

(अनुपालन–सभी अपर लोक अभियोजक, पटना जिला)

5. लम्बित बकाया विपत्र का भुगतानः

उप समाहर्ता विधि शाखा द्वारा बताया गया कि इस मद में उपलब्ध आवंटन को उपयोग कर दिया गया है तथा अब कोई राशि शेष नहीं है तथा पुनः आवंटन की मांग की गयी है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि अपर लोक अभियोजकवार लंबित बकाया राशि की मांग हेतु सरकार को पुनः स्मरित किया जाय तथा आवंटन प्राप्त होने के उपरांत इसका भुगतान मृत/सेवा मुक्त अपर लोक अभियोजक को प्राथमिकता के आधार पर तथा पूर्व के बकाया राशि को प्राथमिकता देते हुए भुगतान किया जाय। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वैसें अभियोजक जो अब सरकार के तरफ से पैरवी करने के लिए अधिकृत नही है, उनके द्वारा समर्पित विपत्रों का भुगतान उनके द्वारा सम्पूर्ण प्रभार सौपनें के उपरान्त ही किया जायेगा। विगत बैठक में निदेश दिया गया था कि सभी अधिवक्तागण अपने वादों में किए जा रहे पैरवी का माहवार विपत्र संबंधित न्यायालय से सत्यापित कराकर बैठक के दिन साथ में लायेंगे तथा उन्हें यहां विपत्र प्राप्ति की पावती निर्गत की जाएगी। इसका अनुपालन नही हो पाया है।

(अनुपालन–उप समाहर्ता, प्रभारी विधि शाखा)

6. विधिक मद में आवंटन हेतु अधिवक्तावार मांगः

कई सहायक लोक अभियोजकों द्वारा यह जानकारी दी गयी कि विधि विभाग को लोक अभियोजक/ सहायक लोक अभियोजक के लम्बित बकाया विपत्रों की सूचना अधिवक्ता के नाम के विरूद्ध भेजी जाय ताकि वर्ष 1999–2000 से लाखों रूपये के विपत्र जो आवंटन की प्रत्याशा में लम्बित हैं का पूर्ण भुगतान कराया जा सके। उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा ने बताया कि अधिवक्तावार अधियाचना विधि विभाग को भेजी दी गयी है, तथा कुल आवश्यकता के विरूद्ध आवंटन की मांग की गयी है। इस संबंध में पुनः स्मार भेजने की आवश्यकता बतायी गयी।

(अनुपालन–उप समाहर्ता, प्रभारी विधि शाखा)

7. अनुसंधान पदाधिकारी/आरक्षी पदाधिकारी/डॉक्टर की राज्यस्तरीय डायरेक्टरी तैयार करने के सम्बन्ध मेंः

अनुसंधान पदाधिकारी,डॉक्टर इत्यादि का स्थायी पता (पोस्ट ऑफिस का पता) का भी उल्लेख वाली सीट में किया जाना चाहिए ऐसी मांग सभी सहायक लोक अभियोजक द्वारा की गयी। प्रभारी पदाधिकारी एन0आई0सी0 ने बताया कि अनुसंधान पदाधिकारियों कि विस्तृत सूची वेबसाइट पर जारी कर दी गयी है जिसका नाम **htp// bsh.nic.in** है। डॉक्टर एवं अन्य गवाहों के स्थायी पता का भी उल्लेख करने हेतु स्वास्थय विभाग एवं वरीय आरक्षी अधीक्षक पटना को एक पत्र निर्गत करें

तथा इसकी प्रतिलिपि आरक्षी मुख्यालय को भी दें ताकि उनके स्तर से भी इस प्रकार का निदेश सभी सम्बन्धित को निर्गत किया जा सके। इसमें वरीय आरक्षी अधीक्षक के स्तर से की कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है।

(अनुपालन–वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना)

8. लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकों के फीस का पुनरीक्षणः

सभी लोक अभियोजकों ने पुनः इस बात की मांग की कि उन लोगों को माननीय उच्च न्यायालय के तर्ज पर ही प्रत्येक वाद में किये जाने वाले पैरवी के विरूद्ध फीस का पुर्नरीक्षण किया जाय, ताकि वे पूरे मनोयोग एवं प्रतिबद्धता के साथ सरकार की ओर से पैरवी कर सकें।

इस सम्बन्ध में उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा को यह निदेश दिया गया कि वे इन लोगों से प्रस्ताव प्राप्त कर विधि विभाग कों भेजें। अधिवक्तओं के द्वारा प्रस्ताव अभी तक नही समर्पित किया गया है। इस बैठक में उक्त प्रस्ताव हेतु पुनः स्मारित किया जाये।

(अनुपालन–लोक अभियोजक)

9. कारा से अभियुक्तों का उपस्थापनः

इस सम्बन्ध में समीक्षा करने पर यह पाया गया कि विगत माह में दिये गये निदेश का खास असर हुआ है, किन्तु अभी भी इसमें सुधार की आवश्यकता है। अभियुक्तों के उपस्थापन समयावधि में करने हेतु कारा अधीक्षक को पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया, ताकि वे अभियुक्तों के उपस्थापन के कार्य को गंभीरता से लें तथा यह सुनिश्चित करें कि अभियुक्तों का उपस्थापन निर्धारित तिथि एवं समय पर न्यायालय में हो। इस बैठक की कार्रवाई की प्रतिलिपि कारा महा निरीक्षक को भी भजने का निदेश दिया गया। अगली बैठक में वरीय आरक्षी अधीक्षक एवं कारा अधीक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु निदेश दिया गया। इसके साथ ही लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक से यह अनुरोध किया गया कि यदि किसी चर्चित या गंभीर मामले में लापरवाही होती है, तो इस सम्बन्ध में सूचना अधोहस्ताक्षरी को दें, ताकि इस प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई की जा सके। विधि शाखा, प्रभारी ने बताया कि विगत बैठक में इस प्रकार की चार मामले प्रकाश में लाये गये थें जिस पर त्वरित कार्रवाई की गयी

(अनुपालन–वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना/सभी काराधीक्षक,पटना जिला/लोक अभियोजक, पटना)

10. अन्यान्य

यह भी निदेश दिया गया कि अगले कैलेण्डर वर्ष से प्रत्येक माह के चतुर्थ **शनिवार** को यह बैठक आहूत की जायगी। सभी अभियोजकों ने कोर्ट फी/स्टाम्प की अनुपलब्धता के बारे में जानकारी दी, तथा इस हेतु आकस्मिक निधि उपलब्ध कराने अथवा स्टाम्प उपलब्ध कराने की मांग की। जिलाधिकारी ने इस हेतु सरकार को अधियाचना भेजने का निदेश दिया।

* जिलाधिकारी ने सभी अभियोजकों को चर्चित वादों का निष्पादन युद्ध स्तर पर कराने का निदश दिया तथा इन चर्चित वादों में जिस किसी चीज की आवश्यकता हो, उस संबंध में जानकारी देने तथा सहयोग लेने का निदेश दिया।

* अभियोजकों द्वारा यह भी मांग की गयी कि जिला अभियोजन पदाधिकारी/ अनुमण्डल अभियोजन पदाधिकारी द्वारा जिस तरह नोटिसों/सम्मन का तामिला कराया जाता है, उस सुविधा का उपयोग अभियोजकों को भी करने का निदेश देने की मांग की गयी। इस संबंध में जिलाधिकारी ने वरीय आरक्षी अधीक्षक को बैठक में भाग लेने हेतु पत्र लिखने हेतु निदेश दिया।

* न्यायालय में स्थित हाजत के पुलिस पदाधिकारी एवं आरक्षियों द्वारा कैदियों के उपस्थापन में जानबूझकर लापरवाही बरती जाती है। उस पर रोक लगाने हेतु वरीय आरक्षी अधीक्षक को यहाँ पदस्थापित आरक्षियों एवं पदाधिकारियों के स्थानांतरण करने की आवश्कयता बतायी गयी।

* कारा के अधिकारी अनियमित रूप से विचाराधिन कैदियों को बीमार घोषित नहीं करेगें।

उप समाहर्त्ता प्रभारी,
विधि शाखा, पटना।

अपर जिला दण्डा0
विधि पटना।

समाहर्त्ता,
पटना।

ज्ञापांक.....223...../विधि,पटना,दिनांक 31/1/07

प्रतिलिपि– सभी सम्बन्धित लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– उप समाहर्त्ता प्रभारी, विधि शाखा,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:– वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना एवं सभी कारा अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अगले निर्धारित बैठक में निश्चित रूप से भाग लें।

उप समाहर्त्ता प्रभारी,
विधि शाखा, पटना।

अपर जिला दण्डा0
विधि पटना।

समाहर्त्ता,
पटना।

ज्ञापांक.....223...../विधि,पटना,दिनांक 31/1/07

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/सचिव, विधि एवं न्याय विभाग, बिहार, पटना /महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उप समाहर्त्ता प्रभारी,
विधि शाखा, पटना।

अपर जिला दण्डा0
विधि पटना।

समाहर्त्ता,
पटना।

डॉ० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से० जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 07.04.2007 को समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित लोक अभियोजक / अपर लोक अभियोजक के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही ।

1. उपस्थिति :– यथा पंजी के अनुसारः–

अनुपस्थित :–

क्र०	अनुपस्थित अभियोजक के नाम	पद नाम	क्र०	अनुपस्थित अभियोजक के नाम	पद नाम
1	श्री साधु शरण यादव	अ० लोक अभि०, पटना	2	श्री विजय कु० सिंह हिमांशु	अ० लोक अभि०, पटना सदर
3	श्री राजेश्वर प्रसाद सिन्हा	अ० लोक अभि०, पटना	4	श्री नन्दु प्रसाद	अ० लोक अभि०, पटना सदर
5	श्री राम नन्दन प्रसाद	अ० लोक अभि०, पटना	6	श्री गजेन्द्र प्रसाद	अ० लोक अभि०, पटना सदर
7	श्री किशोर कु० सिंह	अ० लोक अभि०, पटना	8	श्री भानु प्रताप सिंह	अ० लोक अभि०, पटना सदर
9	श्रीमति अन्नपूर्णा गुप्ता	अ० लोक अभि०, पटना	10	श्री रामपति यादव	अ० लोक अभि०, पटना सदर
11	श्री शशी भूषण सिंह	अ० लोक अभि०, पटना	12	श्री राजनितिक प्रसाद	अ० लोक अभि०, पटना सदर
13	श्री अशोक कुमार यादव	अ० लोक अभि०, पटना	14	श्री शिवेन्द्र कु० सिन्हा	अ० लोक अभि०, पटना सदर
15	श्री मो० नसीमुद्दीन	अ० लोक अभि०, पटना	16	श्री मो० अन्जारूल्लाह खां	अ० लोक अभि०, पटना सदर
17	श्री अभय कुमार सिन्हा	अ० लोक अभि०, पटना	18	श्री दिलीप कुमार राय	अ० लोक अभि०, पटना सदर
19	श्री अरशद हुसैन	अ० लोक अभि०, पटना	20	श्री कृपा नाथ यादव	अ० लोक अभि०, पटना सदर
21	श्री त्रिलोकी प्रसाद यादव	अ० लोक अभि०, पटना	22	श्री नवल किशोर प्रसाद	अ० लोक अभि०, पटना सदर
23	श्री प्रमेन्द कुमार दयाल	अ० लोक अभि०, पटना	24	श्री राम लखन सिंह	अ० लोक अभि०, पटना सदर
25	श्री गिरजा प्रसाद	अ० लोक अभि०, पटना	26	श्री विजय कुमार सिन्हा	अ० लोक अभि०, पटना सदर
27	श्री अरविन्द कुमार सिंह	अ० लोक अभि०, पटना	28	श्री आशुतोष कुमार	अ० लोक अभि०, पटना सदर
29	श्री सरदार प्रीतम सिंह	अ० लोक अभि०, पटना	30	श्री चन्द्र भूषण सिंह	अ० लोक अभि०, पटना सदर
31	श्री जय प्रकाश सिंह	अ० लोक अभि०, पटना	32	श्री शिव नरेश तिवारी	अ० लोक अभि०, पटना सदर
33	श्री मो० मोइनुद्दीन	अ० लोक अभि०, पटना	34	श्री मदन मोहन प्रसाद	अ० लोक अभि०, पटना सदर
35	श्री राम बाल प्रसाद	अ० लोक अभि०, पटना	36	श्री गिरजा प्रसाद –1	अ० लोक अभि०, पटना सदर
37	श्री सुधीर कुमार सिन्हा	अ० लोक अभि०, पटना	38	श्री पदम जग नारायण शर्मा	अ० लोक अभि०, पटना सदर
39	श्री जर्नादन प्रसाद	अ० लोक अभि०, पटना	40	श्री जगतनारायण सिंह	अ० लोक अभि०, पटना सदर
41	श्रीमति रबेका कुमारी	अ० लोक अभि०, पटना	42	श्री मो० रफी अहमद	अ० लोक अभि०, पटना सदर
43	श्रीमति सरोज कुमारी	अ० लोक अभि०, पटना	44	श्री केश्व शर्मा	अ० लोक अभि०, पटना सदर
45	श्री उदय प्रकाश	अ० लोक अभि०, पटना	46	श्री कांन्ति कुमार	अ० लोक अभि०, पटना सदर
47	श्री प्रेमानन्द मधु	अ० लोक अभि०, पटना	48	श्री रवि शंकर	अ० लोक अभि०, पटना सदर
49	श्री जफर हैदर	अ० लोक अभि०, पटना	50	हरे कृष्ण प्रसाद सिंह	अ० लोक अभि०, बाढ
51	श्री आनन्द चन्द्र सिंह	अ० लोक अभि०, पटना	52	श्री शत्रुधन प्रसाद सिंह	अ० लोक अभि०, पटना सदर
53	श्री राजेश कुमार	अ० लोक अभि०, पटना	54	श्री सुदेश्वर सिंह	अ० लोक अभि०, पटना सदर
55	श्री ओंकार नाथ पाण्डेय	अ० लोक अभि०, पटना	56	श्री अनिल साहनी	अ० लोक अभि०, पटना सदर
57	श्री शर्मानन्द राय	अ० लोक अभि०, पटना	58	श्री जगदानन्द प्रसाद	अ० लोक अभि०, पटना सदर
59	श्री शर्मानन्द राय	अ० लोक अभि०, पटना	60	श्री धीरेन्द्र प्रसाद कन्हैया	अ० लोक अभि०, पटना सदर
61	श्री रामनरेश सिंह दिनकर	अ० लोक अभि०, पटना	62	श्री कमल प्रियनन्दन उ० सिंह	अ० लोक अभि०, पटना सदर
63	रामनुज सिंह	अ० लोक अभि०, पटना	64	श्री राम उदित प्रसाद	अ० लोक अभि०, पटना सदर
65	श्री मो० अहमद	अ० लोक अभि०, पटना	66	श्रीमति पुष्पा सिंह	अ० लोक अभि०, पटना सदर
67	श्री अशोक कुमार नागवंशी	अ० लोक अभि०, पटना	68	श्री अशफाक अहमद खां	अ० लोक अभि०, पटना सदर
69	श्री नागेश्वर प्रसाद चौधरी	अ० लोक अभि०, पटना	70	श्री जमील अहमद	अ० लोक अभि०, पटना सदर
71	श्री धन्जय कुमार	अ० लोक अभि०, पटना	72	श्री अनिल कुमार गालाकार	अ० लोक अभि०, पटना सदर
73	श्री ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह	अ० लोक अभि०, पटना	74	श्री मु० गयासुद्दीन	अ० लोक अभि०, पटना सदर
75	श्री रामस्वरूप	अ० लोक अभि०, बाढ	76	श्रीमति कुमारी ज्योती	अ० लोक अभि०, पटना सदर
77	श्री दुर्गा कुमार	अ० लोक अभि०, पटना	78	जवाहर लाल	अ० लोक अभि०, पटना सदर
79	श्री श्याम किशोर राय	अ० लोक अभि०, पटना	80	श्री नरेश कुमार	अ० लोक अभि०, पटना सदर
81	श्री विधाधर मिश्रा	अ० लोक अभि०, पटना	82	श्री ध्रुव लाल यादव	अ० लोक अभि०, पटना सदर
83	श्री ठाकुर कुमार ललन जी	अ० लोक अभि०, पटना	84	श्री रूद्र देव	अ० लोक अभि०, पटना सदर
85	श्री पुष्पा चौधरी	अ० लोक अभि०, पटना	86	श्री जारूल होदा	अ० लोक अभि०, बाढ
87	श्री सिराजुल हक	अ० लोक अभि०, पटना	88	श्री शियाराम यादव	अ० लोक अभि०, पटना सदर
89	श्री मनीकान्त झा	अ० लोक अभि०, पटना	90	श्री कमरूजमा	अ० लोक अभि०, पटना सदर
91	श्री सैयद इमराम घानी	अ० लोक अभि०, पटना	92	श्री अरविन्द कुमार	अ० लोक अभि०, पटना सदर
93	श्री सैयद बशी	अ० लोक अभि०, पटना	94	श्री ग्यानेश पाण्डेय	अ० लोक अभि०, पटना सदर
95	श्री राधा कान्त राहगल	अ० लोक अभि०, पटना सिटी	96	श्री गुणीलाल	अ० लोक अभि०, पटना सिटी

97	श्री परमानन्द प्रसाद श्री वास्तव	अ० लोक अभि०, पटना सिटी	98	श्री रामाशिष प्रसाद सिंह	अ० लोक अभि०, पटना सिटी
99	श्री योगेन्द्र मिस्त्री	अ० लोक अभि०, पटना सिटी	100	श्री शिवनाथ प्रसाद	अ० लोक अभि०, पटना सिटी
101	श्री रामेश्वर प्रसाद– 2	अ० लोक अभि०, पटना सिटी	102	श्री श्यामनन्द सिन्हा	अ० लोक अभि०, दानापुर
103	श्री सफदर हयात	अ० लोक अभि०, दानापुर	103		

बैठक में अनुपस्थित अपर लोक अभियोजकों अपना स्पष्टीकरण देंगे क्यों नहीं उन्हें सेवानी की कार्रवाई प्रारंभ की जाए तथा उनका यहां पदस्थापित रहने का क्या औचित्य है।

2. विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन का प्रेषणः

कतिपय कारणों से माह फरवरी एवं मार्च में बैठक नहीं हो पायी है। जिला पदाधिकारी ने निदेश दिया की इस बैठक की तिथि अकार्य दिवस को निर्धारित की जाएगी। लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक से विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रतिवेदन संकलित कर Annexure-A पर संलग्न है। जिला पदाधिकारी ने यह निदेश दिया था कि लोक अभियोजक माह जनवरी से नया परिचारित करेगें ताकि समीक्षात्मक बैठक इेतु समेकित प्रतिवेदन तैयार किया जा सके। नया प्रपत्र प्रभारी लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। नया प्रपत्र हेतु प्रभारी लोक अभियोजक को स्मारित करें। जिला दण्डाधिकारी ने यह निदेश दिया कि निर्धारित बैठक से पॉच दिन पूर्व में प्रतिवेदन विधि शाखा, में समर्पित करे ताकि सामेकित प्रतिवेदन तैयार किया जा सके।

(अनुपालन– सभी लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक)

3.वादों का अपर लोक अभियोजकवार आवंटनः

प्रभारी लोक अभियोजक बैठक में उपस्थित नहीं हो सकें। अतः अपर लोक अभियोजकवार वादों के बटवारा की समीक्षा नहीं हो पायी। अभी तक वादों का अभियोजकवार बटवारा की सूची अप्राप्त है। विगत बैठक में लोक अभियोजक ने बताया था कि उनके कार्यालय में अभिलेखों के रख–रखाव एवं आसूचना पद्धति को अद्यतन करने हेतु कम्प्यूटर सहित ऑपरेटर की आवश्यकता है, जिसके लिए लोक अभियोजक इस सम्बंध में लिखित प्रस्ताव जिला पदाधिकारी को देंगें जो अबतक अप्राप्त है। प्रभारी लोक अभियोजक को स्मारित करे। कई न्यायालयों में बिना लोक अभियोजक को जानकारी दिये हुए अपर लोक अभियोजक द्वारा स्वयं भी केस सरकार की ओर से लड़ा जा रहा है, जो उचित नहीं है। इस पर रोक लगाने हेतु प्रभारी लोक अभियोजक एक ठोस प्रस्ताव दे। इस सम्बन्ध में यह निदेश दिया गया था कि प्रभारी लोक अभियोजक एक पत्र तुरंत जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निर्गत करेगें कि वैसे अपर लोक अभियाजक जों अधिकृत नहीं है, उनके द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से किये गये पैरवी को अनाधिकृत पैरवी या अनाधिकृत रूप से कार्य करते हुए माना जाय, क्योंकि यदि इसे रोका नहीं जायगा तो अराजक स्थिति हो जायगी। अभी तक लोक अभियोजक द्वारा कृत कार्रवाई से जिला विधि शाखा को अवगत नहीं कराया गया है। प्रभारी लोक अभियोजक को स्मारित करे।

उपस्थित अधिवक्ताओं ने यह बताया कि कुछ अधिवक्ताओं के मरने या सेवा निवृत्त होने के बाद अभिलेखों के प्रभार का आदान–प्रदान नहीं हो पाता है। यह निर्णय लिया गया कि लोक अभियोजक इसे सुनिश्चित करायेंगे।

(अनुपालन– प्रभारी लोक अभियोजक)

4. फास्ट ट्रैक कोर्ट में किये जाने वाले कार्य का भुगतान:

सभी सहायक लोक अभियोजक द्वारा यह सूचना दी गयी कि उनके द्वारा जो सरकार की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभियोजन की तरफ से पैरवी की जाती है, उसके लिये विपत्र का भुगतान नहीं किया जाता है।

इस संबंध में यह निर्देश दिया गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जा रही है, उसके लिये विपत्र के भुगतान हेतु समाहर्ता के स्तर से सरकार को अनुरोध किया जाय। पिछले बैठक में सभी लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक से एक लिखित मांग-पत्र की मांग की गयी थी, जो अबतक प्राप्त है।

(अनुपालन–सभी अपर लोक अभियोजक, पटना जिला)

5. लम्बित बकाया विपत्र का भुगतान:–

उप समाहर्ता वित्त शाखा द्वारा बताया गया कि इस मद में अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता नहीं गया है तथा अब कोई राशि शेष नहीं है तथा पुनः आवंटन की मांग की गयी है। इस संबंध में निर्देश दिया गया कि अपर लोक अभियोजकवार लंबित बकाया राशि की मांग हेतु सरकार को पुनः समर्पित किया जाय तथा आवंटन प्राप्त होने के उपरांत इसका भुगतान पूर्व/बाद मुक्त अपर लोक अभियोजक को प्राथमिकता के आधार पर तथा पूर्व के बकाया राशि को प्राथमिकता देते हुए भुगतान किया जाय। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वैसे अभियोजक जो अब सरकार के तरफ से पैरवी करने के लिए अधिकृत नहीं है, उनके द्वारा समर्पित विपत्रों का भुगतान उनके द्वारा सम्पूर्ण प्रभार सौंपने के उपरान्त ही किया जायेगा। विगत बैठक में निदेश दिया गया था कि सभी अधिवक्तागण अपने वादों में किए जा रहे पैरवी का माहवार विपत्र संबंधित न्यायालय से सत्यापित कराकर बैठक के दिन साथ में लायेंगे तथा उन्हें सही विपत्र प्रति की पावती निर्गत की जाएगी। इसका अनुपालन नहीं हो पाया है।

(अनुपालन–उप समाहर्ता, प्रभारी विधि शाखा)

6. विधिक मद में आवंटन हेतु अधिवक्तावार मांग:

कई सहायक लोक अभियोजकों द्वारा यह जानकारी दी गयी कि विधि विभाग को लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक के लंबित बकाया विपत्रों की सूचना अधिवक्ता के नाम के विरुद्ध भेजी जाय ताकि वर्ष 1999–2000 में लाखों रुपये के विपत्र जो आवंटन की प्रत्याशा में लंबित हैं का भुगतान कराया जा सके। उप समाहर्ता प्रभारी विधि शाखा ने बताया कि अधिवक्तावार अधियाचना वि विभाग को भेजी की गयी है, तथा कुल आवश्यकता के विरुद्ध आवंटन की मांग की गयी है। इस संबंध पुनः स्मार भेजने की आवश्यकता बतायी गयी।

(अनुपालन–उप समाहर्ता, प्रभारी विधि शाखा)

7. अनुसंधान पदाधिकारी/आरक्षी पदाधिकारी/डॉक्टर की राज्यस्तरीय डायरेक्टरी तैयार करने के सम्ब में:

अनुसंधान पदाधिकारी,डॉक्टर इत्यादि का स्थायी पता (पोस्ट ऑफिस का पता) का उल्लेख चार्ज शीट में किया जाना चाहिए ऐसी मांग सभी सहायक लोक अभियोजक द्वारा की गयी। प्र

पदाधिकारी एन0आई0सी0 ने बताया कि अनुसंधान पदाधिकारियों कि विस्तृत सूची वेबसाइट पर जारी की गयी है जिसका नाम htt-p://bis.nic.com है। डॉक्टर एवं अन्य गवाहों के स्थायी पता का भी उल्लेख करने हेतु स्वास्थय विभाग एवं वरीय आरक्षी अधीक्षक पटना को एक पत्र निर्गत करें तथा इसकी प्रतिलिपि आरक्षी मुख्यालय को भी दें ताकि उनके स्तर से भी इस प्रकार का निदेश सभी सम्बन्धित को निर्गत किया जा सके। इसमें वरीय आरक्षी अधीक्षक के स्तर से की कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है।

(अनुपालन–वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना)

8. लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकों के फीस का पुनरीक्षणः

सभी लोक अभियोजकों ने पुनः इस बात की मांग की कि उन लोगों को माननीय उच्च न्यायालय के तर्ज पर ही प्रत्येक वाद में किये जाने वाले पैरवी के विरुद्ध फीस का पुर्नरीक्षण किया जाय, ताकि वे पूरे मनोयोग एवं प्रतिबद्धता के साथ सरकार की ओर से पैरवी कर सकें।

इस सम्बन्ध में उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा को यह निदेश दिया गया था कि वे इन लोगों से प्रस्ताव प्राप्त कर विधि विभाग कों भेजें। अधिवक्तओं के द्वारा प्रस्ताव अभी तक नही समर्पित किया गया है। इस बैठक में उक्त प्रस्ताव हेतु पुनः स्मारित किया जाय।

(अनुपालन–लोक अभियाजक)

9. कारा से अभियुक्तों का उपस्थापनः

इस सम्बन्ध में समीक्षा करने पर यह पाया गया कि विगत माह में दिये गये निदेश का गुणात्मक असर हुआ है। अभियुक्तों के उपस्थापन समयावधि में करने हेतु कारा अधीक्षक निदेश दिया गया, ताकि वे अभियुक्तों के उपस्थापन के कार्य को गंभीरता से लें तथा यह सुनिश्चित करें कि अभियुक्तों का उपस्थापन निर्धारित तिथि एवं समय पर न्यायालय में हो। इस बैठक की कार्रवाई की प्रतिलिपि कारा महा निरीक्षक को भी भेजने का निदेश दिया गया। इसके साथ ही लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक से यह अनुरोध किया गया कि यदि किसी चर्चित या गंभीर मामले में लापरवाही होती है, तो इस सम्बन्ध में सूचना अधोहस्ताक्षरी को दें, ताकि इस प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई की जा सके। विधि शाखा, प्रभारी ने बताया कि विगत बैठक में इस प्रकार की चार मामले प्रकाश में लाये गये थें जिस पर त्वरित कार्रवाई की गयी

(अनुपालन–वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना/सभी काराधीक्षक,पटना जिला/लोक अभियोजक, पटना)

10. अन्यान्य

यह भी निदेश दिया गया कि अगले कैलेण्डर वर्ष से प्रत्येक माह के चतुर्थ शनिवार को यह बैठक आहूत की जायगी। सभी अभियोजकों ने कोर्ट फी/स्टाम्प की अनुपलब्धता के बारे में जानकारी दी, तथा इस हेतु आकस्मिक निधि उपलबध कराने अथवा स्टाम्प उपलब्ध कराने की मांग की। जिलाधिकारी ने इस हेतु सरकार को अधियाचना भेजने का निदेश दिया।

* जिलाधिकारी ने सभी अभियोजकों को चर्चित वादों का निष्पादन युद्ध स्तर पर कराने का निदेश दिया तथा इन चर्चित वादों में जिस किसी चीज की आवश्यकता हो, उस संबंध में जानकारी देने तथा सहयोग लेने का निदेश दिया।

* अभियोजकों द्वारा यह भी मांग की गयी कि जिला अभियोजन पदाधिकारी/ अनुमण्डल अभियोजन पदाधिकारी द्वारा जिस तरह नोटिसी/सम्मन का तामिला कराया जाता है, उस सुविधा का उपयोग अभियोजकों को भी करने का निदेश देने की मांग की गयी। इस संबंध में जिलाधिकारी ने वरीय आरक्षी अधीक्षक को बैठक में भाग लेने हेतु पत्र लिखने हेतु निदेश दिया।

* न्यायालय में स्थित हाजत के पुलिस पदाधिकारी एवं आरक्षियों द्वारा कैदियों के उपस्थापन में जानबूझकर लापरवाही बरती जाती है। उस पर रोक लगाने हेतु वरीय आरक्षी अधीक्षक को यहाँ पदस्थापित आरक्षियों एवं पदाधिकारियों के स्थानांतरण करने की आवश्यकता बतायी गयी।

* कारा के अधिकारी अनियमित रूप से विचाराधिन कैदियों को बीमार घोषित नहीं करेंगे

उप समाहर्त्ता प्रभारी,
विधि शाखा, पटना।

अपर जिला दण्डा0
विधि पटना।

समाहर्त्ता,
पटना।

ज्ञापांक.....6..... /विधि,पटना,दिनांक.....

प्रतिलिपि– सभी सम्बन्धित लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– उप समाहर्त्ता प्रभारी, विधि शाखा,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना एवं सभी कारा अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध कि अगले निर्धारित बैठक में निश्चित रूप से भाग लें।

उप समाहर्त्ता प्रभारी,
विधि शाखा, पटना।

अपर जिला दण्डा0
विधि पटना।

समाहर्त्ता,
पटना।

ज्ञापांक.....6..... /विधि,पटना,दिनांक.....

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमण्डल पटना/सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/सचिव, विधि एवं न्याय विभाग, बिहार, पटना/महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उप समाहर्त्ता प्रभारी,
विधि शाखा, पटना।

अपर जिला दण्डा0
विधि पटना।

समाहर्त्ता,
पटना।

डॉ०बी०राजेन्दर, भा०प्र०से० जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 19.05.07 को सभागारणालय सभा कक्ष में आयोजित लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही ।

1.उपस्थिति :— यथा पंजी के अनुसार—

जिला पदाधिकारी ने बैठक प्रारंभ करते हुए इस बैठक के महत्त्व को समझाते हुए कहा कि इस बैठक का उद्देश्य विधि व्यवस्था संधारण में अभियोजन की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। इस बैठक की सूचना लोक अभियोजक एवं प्रत्येक अनुमंडल के प्रभारी अपर लोक अभियोजक को दी जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि जो लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक किसी वाद में अपराधी को आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड दिलाने में अहम भूमिका निभाते है तो उन्हे पुरस्कृत किया जाएगा। लोक अभियोजक के कार्यालय हेतु एक कम्प्यूटर (डाटा ऑपरेटर के साथ) की मांग पर जिला पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि इसके संबंध में सरकार को अभियाचना भेजी जाएगी।

2. विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन का प्रेषण:

जिला पदाधिकारी ने निदेश दिया कि प्रत्येक माह के 5 तारीख तक सभी अभियोजकगण अपना—अपना प्रतिवेदन जिला विधि शाखा को उपलब्ध करायेंगे ताकि बैठक के समय प्रतिवेदन को समेकित कर समीक्षा हेतु लाया जा सके। प्रतिवेदन की प्रभावी समीक्षा हेतु लोक अभियोजक नया प्रपत्र तैयार कर विधि शाखा को उपलब्ध करायेगें।

(अनुपालन— सभी लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक)

3.वादों का अपर लोक अभियोजकवार आवंटन:

जिला पदाधिकारी ने बताया कि अपर लोक अभियोजको के बीच समानुपातिक तरीके से वादों का आवंटन होना चाहिए। समानुपातिक तरीकें से वादों का बंटवारा नहीं होने के कारण वादों का उचित वितरण नही हो पा रहा है। प्रभारी लोक अभियोजक ने बताया कि सभी वादों का काण्ड दैनिकी संबंधित न्यायालय के अभिलेख पर वापस करने हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आदेश दिया गया है जिसका अनुपालन अभी तक नहीं हो रहा है। वाद के संबंध में तैयारी हेतु संबंधित प्रभारी अपर लोक अभियोजक न्यायालय में आवेदन देकर काण्ड दैनिकी प्राप्त करेगें तथा ससमय उसे न्यायालय के अभिलेख पर वापस कर देगे। इस व्यवस्था से सम्बंधित अपर लोक अभियोजक के अनुपस्थित रहने पर भी वाद की सुनवाई अगले तिथि के लिए टाला नही जा सकता है।इसका अनुपालन सभी अपर लोक अभियोजक करेगें।

(अनुपालन— प्रभारी लोक अभियोजक)

4. फास्ट ट्रैक कोर्ट में किये जाने वाले कार्य का भुगतान:

फास्ट ट्रैक कोर्ट से संबंधित अपर लोक अभियोजक को नियमानुसार भुगतान होना चाहिए। कई सहायक लोक अभियोजक द्वारा यह सूचना दी गयी कि उनके द्वारा जो सरकार की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभियोजन की तरफ से पैरवी की जाती है, उसके लिये विपत्र का भुगतान नहीं किया जाता है।

इस संबंध में यह निदेश दिया गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जा रही है पैरवी के विपत्र के भुगतान हेतु समाहर्ता के स्तर से सरकार को अनुरोध किया जाय। पिछले बैठक में सभी लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक से एक लिखित मांग–पत्र की मांग की गयी थी, जो अबतक अप्राप्त है।

(अनुपालन–सभी अपर लोक अभियोजक, पटना जिला)

5. विपत्र का भुगतान हेतु प्रस्तुत करने के संबंध में:–

अपर लोक अभियोजकों द्वारा समर्पित विपत्र में निम्नलिखित त्रुटियॉ जॉचोपरान्त पायी गयी है:–

1. एक ही तिथि के एक ही समय में विभिन्न पीठासीन पदाधिकारियों के न्यायालय में किये गये कार्यो का विपत्र प्रस्तुत किया जाना।
2. बिना प्राधिकार के सरकारी वादों में किये गये कार्यो का विपत्र प्रस्तुत किया जाना।
3. एक ही तिथि एवं एक ही समय में अलग–अलग न्यायालयों में किये गये कार्यो का विपत्र प्रस्तुत किया जाना ।
4. चार घंटा से कम समय में न्यायालय में किये गये कार्यो का गलत ढ़ग से चार घंटे से अधिक किये गये कार्यो के समतुल्य विपत्र प्रस्तुत करना ।

सरकार का स्पष्ट निदेश है कि एक तिथि में किसी एक कार्य के भुगतान का दावा कर सकते है। एक तिथि एव एकं समय में दर्शाया गया विभिन्न न्यायालय में एक से अधिक कार्यो में किये गये कार्यो के लिए एक से अधिक विपत्र का भुगतान नहीं किया जाएगा। भविष्य में गलत दावे के रूप में प्रस्तुत विपत्र पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी।

जिला पदाधिकारी द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देश के अनुसार लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक द्वारा विपत्र भुगतान के लिए प्रस्तुत किये गये विपत्र को स्वच्छ एंव स्पष्ट होना चाहिये। प्रस्तुत विपत्र के अग्रसारित आवेदन पत्र पर संलग्न राशि का योग प्रत्यके माहवार संलग्न होना चाहिए तथा आवेदन पत्र पर संबंधित अधिवक्ता का नाम, पदनाम एंव पत्राचार का पता स्पष्ट होना चाहिए। उपर्युक्त निदेशों का पालन नही किये जाने पर उनके द्वारा समर्पित विपत्र पर विचार नही किया जाएगा।

(अनुपालन–सभी अपर लोक अभियोजक, पटना जिला)

6. लम्बित बकाया विपत्र का भुगतान:–

उप समाहर्ता विधि शाखा द्वारा बताया गया कि इस मद में उपलब्ध आवंटन को उपयोग कर दिया गया है तथा अब कोई राशि शेष नहीं है तथा पुनः आवंटन की मांग की गयी है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि अपर लोक अभियोजकवार लंबित बकाया राशि की मांग हेतु सरकार को पुनः स्मारित किया जाय तथा आवंटन प्राप्त होने के उपरांत इसका भुगतान मृत/सेवा मुक्त अपर लोक अभियोजक को प्राथमिकता के आधार पर तथा पूर्व के बकाया राशि को प्राथमिकता देते हुए भुगतान किया जाय। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वैसे अभियोजक जो अब सरकार के तरफ से पैरवी करने के लिए अधिकृत नही है, उनके द्वारा समर्पित विपत्रों का भुगतान उनके द्वारा सम्पूर्ण प्रभार सौपनें के उपरान्त ही किया जायेगा। विगत बैठक में निदेश दिया गया था कि सभी अधिवक्तागण अपने वादों में किए जा रहे

पैरवी का माहवार विपत्र संबंधित न्यायालय से सत्यापित कराकर बैठक के दिन साथ में लायेंगे तथा उन्हें यहां विपत्र प्राप्ति की पावती निर्गत की जाएगी।

(अनुपालन–उप समाहर्ता, प्रमारी विधि शाखा)

7. विधिक मद में आवंटन हेतु अधिवक्तावार मांग:

कई सहायक लोक अभियोजकों द्वारा यह जानकारी दी गयी कि विधि विभाग को लोक अभियोजक/ सहायक लोक अभियोजक के लम्बित बकाया विपत्रों की सूचना अधिवक्ता के नाम के विरूद्ध भेजी जाय ताकि वर्ष 1999–2000 से लाखों रूपये के विपत्र जो आवंटन की प्रत्याशा में लम्बित हैं, का पूर्ण भुगतान कराया जा सके। उप समाहर्त्ता प्रमारी विधि शाखा ने बताया कि अधिवक्तावार अधियाचना विधि विभाग को भेजी दी गयी है तथा कुल आवश्यकता के विरूद्ध आवंटन की मांग की गयी है। इस संबंध में पुनः स्मार भेजने की आवश्यकता बतायी गयी।

(अनुपालन–उप समाहर्ता, प्रमारी विधि शाखा)

8.अनुसंधान पदाधिकारी/आरक्षी पदाधिकारी/डॉक्टर की राज्यस्तरीय डायरेक्टरी तैयार करने के सम्बन्ध में:

अनुसंधान पदाधिकारी,डॉक्टर इत्यादि का स्थायी पता (पोस्ट ऑफिस का पता) का भी उल्लेख चार्ज सीट में किया जाना चाहिए। ऐसा मांग सभी सहायक लोक अभियोजक द्वारा की गयी। अनुसंधान पदाधिकारियों कि विस्तृत सूची वेबसाइट पर जारी कर दी गयी है जिसका नाम **htt-p://bis.nic.com** है। डॉक्टर एवं अन्य गवाहों के स्थायी पता का भी उल्लेख करने हेतु स्वास्थय विभाग एवं वरीय आरक्षी अधीक्षक पटना को एक पत्र निर्गत करने तथा इसकी प्रतिलिपि आरक्षी मुख्यालय को देने का निदेश दिया गया ताकि उनके स्तर से भी इस प्रकार का निदेश सभी सम्बन्धित को निर्गत किया जा सके। आरक्षी उपाधीक्षक प्रत्येक दिन लोक अभियोजक के कार्यालय कक्ष में 11:30 से 12:00 तक उपस्थित रहते है। यदि किसीं अपर लोक अभियोजक को डाक्टर अनुसंधानकर्त्ता के उपस्थिति के संबंध में यदि कोई समस्या है तो उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी अनुमण्डल न्यायालय में प्रमारी अपर लोक अभियोजक के कार्यालय में आरक्षी निरीक्षक जाते है। इस संबंध में सूचना पट पर समय तथा पदाधिकारी का नाम प्रदर्शित करना है ताकि उनसे समस्या पर विचार किया जा सके। दानापुर न्यायालय मे साक्षियों के उपस्थिति हेतु सम्मन/वारंट के तामिला के संबंध मे संबंधित आरक्षी उपाधीक्षक को निदेश निर्गत करने का निर्णय लिया गया ।

(अनुपालन–वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना)

9. लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकों के फीस का पुनरीक्षण:

सभी लोक अभियोजकों ने पुनः इस बात की मांग की कि उन लोगों को माननीय उच्च न्यायालय के तर्ज पर ही प्रत्येक वाद में किये जाने वाले पैरवी के विरूद्ध फीस का पुर्नरीक्षण किया जाय, ताकि वे पूरे मनोयोग एवं प्रतिबद्धता के साथ सरकार की ओर से पैरवी कर सकें।

इस सम्बन्ध में उप समाहर्त्ता प्रमारी विधि शाखा को यह निदेश दिया गया था कि वे इन लोगों से प्रस्ताव प्राप्त कर विधि विभाग कों भेजें। अधिवक्तओं के द्वारा प्रस्ताव अभी तक नही समर्पित किया गया है। इस बैठक में उक्त प्रस्ताव हेतु पुनः स्मारित किया जाय।

(अनुपालन–लोक अभियोजक)

10. कारा से अभियुक्तों का उपस्थापनः

इस सम्बन्ध में समीक्षा करने पर यह पाया गया कि विगत माह में दिये गये निदेश का गुणात्तमक असर हुआ है। अभियुक्तों का उपस्थापन समयावधि में करने हेतु काराधीक्षक निदेशित करने का निर्णय लिया गया ताकि वे अभियुक्तों का उपस्थापन के कार्य को गंभीरता से लें तथा यह सुनिश्चित करें कि अभियुक्तों का उपस्थापन निर्धारित तिथि एवं समय पर न्यायालय में हो । इस बैठक की कार्रवाई की प्रतिलिपि कारा महा निरीक्षक को भी भेजने का निदेश दिया गया। इसके साथ ही लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक से यह अनुरोध किया गया कि यदि किसी चर्चित या गंभीर मामले में कोई लापरवाही होती है, तो इस सम्बन्ध में सूचना अधोहस्ताक्षरी को दें ताकि इस प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई की जा सके।

(अनुपालन–वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना/सभी काराधीक्षक,पटना जिला/लोक अभियोजक, पटना)

11. अन्यान्य

बैठक में निम्नलिखित वादों के सरकारी गवाहों की अनुपस्थिति के कारण वादों का निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब की सूचना दी गयी।

1.	ST –41/2003/बाढ ए0डी0जे0–	I	देवनाथ श्री वास्तव, अ0नि0/डॉ पी0के0 वर्मा
2.	ST –608/2003/बाढ ए0डी0जे0–	III	रामानन्दन प्रसाद सिंह, ए0एस0आई0/ डॉ० एस0एन0 वर्मा,
3.	ST –1325/1998/ए0डी0जे0–		डॉ0 मो0 नईम/कन्हैया तिवारी, एस0आई0
4.	ST –107/2003/ए0डी0जे0–	II	जगदीश प्रसाद आई0ओ0
5.	ST –718/2004ए0डी0जे0–	VII	विजय कुमार, आई0ओ0जी0आर0पी0 दानापुर

संबंधित गवाहों के उपस्थापन हेतु वरीय आरक्षी अधीक्षक एंव असैनिक शल्य चिकित्सक को स्मारित करने का निदेश दिया गया ।

यह भी निदेश दिया गया कि अगले कैलेण्डर वर्ष से प्रत्येक माह के चतुर्थ **शनिवार** को यह बैठक आहूत की जायगी। सभी अभियोजकों ने कोर्ट फी/स्टाम्प की अनुपलब्धता के बारे में जानकारी दी , तथा इस हेतु आकस्मिक निधि उपलबध कराने अथवा स्टाम्प उपलब्ध कराने की मांग की। जिलाधिकारी ने इस हेतु सरकार को अधियाचना भेजने का निदेश दिया। बैठक में यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि व्यवहार न्यायालय परिसर में जाली स्टाम्प का कारोबार हो रहा है। इसके निराकरण हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

* जिलाधिकारी ने सभी अभियोजकों को चर्चित वादों का निष्पादन युद्ध स्तर पर कराने का निदेश दिया तथा इन चर्चित वादों में जिस किसी चीज की आवश्यकता हो, उस संबंध में जानकारी देने तथा सहयोग लेने का निदेश दिया।

* अभियोजकों द्वारा यह भी मांग की गयी कि जिला अभियोजन पदाधिकारी/ अनुमण्डल अभियोजन पदाधिकारी द्वारा जिस तरह नोटिसों/सम्मन का तामिला कराया जाता है, उस सुविधा का

उपयोग अभियोजकों को भी दिया जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी ने वरीय आरक्षी अधीक्षक को बैठक में भाग लेने हेतु पत्र लिखने का निदेश दिया।

* न्यायालय में स्थित हाजत के पुलिस पदाधिकारी एवं आरक्षियों द्वारा कैदियों के उपस्थापन में जानबूझकर लापरवाही बरती जाती है। उस पर रोक लगाने हेतु वरीय आरक्षी अधीक्षक को यहाँ पदस्थापित आरक्षियों एवं पदाधिकारियों के स्थानांतरण करने की आवश्कयता बतायी गयी।

* कारा के अधिकारी अनियमित रूप से विचाराधिन कैदियों को बीमार घोषित नहीं करेगें। इस सम्बंध में सभी काराधीक्षकों को निदेशित करने का निर्णय लिया गया ।

(डॉ०बी० राजेन्दर)
जिला पदाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक...../विधि,पटना,दिनांक.....

प्रतिलिपि– सभी सम्बन्धित लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:– वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना एवं सभी कारा अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अगले निर्धारित बैठक में निश्चित रूप से भाग लें।

(डॉ०बी० राजेन्दर)
जिला पदाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक.....1806...../विधि,पटना,दिनांक.....12/6/07.....

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/सचिव, विधि एवं न्याय विभाग, बिहार, पटना /महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला एवं सत्र न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajender 12.6.2007

(डॉ०बी० राजेन्दर)
जिला पदाधिकारी, पटना।

12/6/07

अपर लोक अभियोजक से संबंधित
अपराधिक वादों से संबंधित मासिक प्रतिवेदन अप्रील 2007

क्र०o	अनुमण्डल का नाम	अपर लोक अभियोजक का नाम	31.05.2007. तक कुल प्राप्त काण्डों की संख्या	31.05.2007 तक कुल निष्पादित काण्डों की संख्या	लम्बित काण्डों की सख्या	आलोच्य माह मे फैसला	सजा की वादों की संख्या	अभियुक्ति
पटना सदर								
1	पटना सदर	श्री गिरजा प्रसाद नं०– I	36		36			
2	"	श्री नन्दु प्रसाद	28		28			
3	"	श्री सरोज कुमारी	40		40			
4	"	श्री नरेश कुमार	20		20			
5	"	श्री जनार्दन प्रसाद	101	4	97	3	4	
6	"	श्री अरविन्द कुमार सिंह	178	8	170	4	4	
7	"	श्री दिलीप कुमार	50	6	44	4	3	
8	"	श्री शिव नरेश तिवारी	132	3	129	3	2	
9	"	श्री अरसद हुसैन	2	1	1			
10	"	श्री चन्द्रभूषण सिंह	40	1	39	1		
11	"	श्री राजेश कुमार	64	5	59	5		
12	"	श्री किशोर सिंह	171	16	155			
13	"	श्री अशोक कुमारा यादव	23	2	21			
14	"	श्री रामदेव पासवान	23	1	22	1		
15	"	श्री आनन्द चन्द्र सिंह	35		35			
16	"	श्री त्रिलोकी प्रसाद यादव	19	3	16			
	"	**कुल >**	**962**	**50**	**912**	21	13	
17	पटना सिटी	श्री गुरमित सिंह	29	—	29			
18		श्री वासिक हुसैन	69	1	68			
19	"	श्री शिव नाथ प्रसाद						
20	"	श्री विजय कुमार	98	3	95			
21	"	श्री गुंनी लाल	531	22	509	3		
22	"	श्री रामेश्वर प्रसाद						
23	"	मो० सैयद फैजुल होदा	32		32			
24	"	श्री प्रेम नन्दन श्रीवास्तव						
		कुल >	**759**	**26**	**733**	3		
25	बाढ़	श्री अवनिन्द्र कुमार	23		23			
26		श्री जगत नारायण सिंह	29	1	28	1	1	
27	"	मो० जफरूल होदा	75	1	74			
28	"	श्री अर्जून शर्मा	77	2	75			
29	"	मो० अली अहमद	52		52			
30	"	श्री प्रभात कुमार	141	14	127			
31	"	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह						
32	"	मो० समीरउर रहमान	154	7	147			
33	"	श्री भूपेन्द्र पासवान	43	3	40			
34	"	श्री राम लखन राय	70	—	70			

35	"	श्री विधयानन्द	72	2	70			
36	"	श्री प्रमोद कुमार	79	2	77			
37	"	श्री विनोद कुमार	72	—	72			
38	"	श्री गणेश दत्त प्रसाद	86	—	86			
39	"	श्री हरेकृष्ण प्रसाद						
40	"	मो0 सलीम	103	10	93			
41		राम बालक प्रसाद						
42	"	अलाउद्दीन सिद्धकी	217	31	186	1	1	
		कुल >	**1293**	**73**	**1220**	**2**	**2**	
43	दानापुर	मो0 कलाम अंसारी	131	2	129			
44	"	श्री श्याम प्रसाद यादव	75	—	75			
45	"	श्री रामकेश्वर प्रसाद	70		70			
46	"	सयुष्ठर हयाद	—	—	—			
47	"	श्री विरेन्द्र प्रसाद	—	—	—			
48	"	श्री गजेन्द्र प्रसाद	—	—	—			
49	"	श्री दिलीप कुमार	—	—	—			
50	"	श्री शिव नरेश तिवारी	—	—	—			
51		श्री राम बालक प्रसाद	166	4	162			
52	"	सकद हैयात	74		74			
53		**कुल >**	**516**	**6**	**510**			
		सूची का कुल योग >	**3530**	**155**	**3375**	**26**	**15**	

अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 23.06.07 को समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही ।

1.उपस्थिति :– यथा पंजी के अनुसारः–

जिला पदाधिकारी के सरकारी कार्यों में अन्यत्र व्यस्त रहने के कारण अपर जिला दण्डाधिकारी ने बैठक की अध्यक्षता की। अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि, पटना ने बैठक प्रारंभ करते हुए इस बैठक के महत्त्व को समझाते हुए कहा कि इस बैठक का उद्देश्य विधि व्यवस्था संधारण में अभियोजन की व्यवस्था को सुदृढ करना है। इस बैठक की सूचना लोक अभियोजक एवं प्रत्येक अनुमण्डल के प्रभारी अपर लोक अभियोजक को दी जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि जो लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक किसी वाद में अपराधी को आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड दिलाने में अहम भूमिका निभाते है तो उन्हे पुरस्कृत किया जाएगा। लोक अभियोजक के कार्यालय हेतु एक कम्प्यूटर (डाटा ऑपरेटर के साथ) की मांग पर अपर जिला दण्डाधिकारी ने आश्वासन दिया कि इसके संबंध में सरकार को अधियाचना भेज दी गयी है।

2. विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन का प्रेषणः

अपर जिला दण्डाधिकारी ने निदेश दिया कि प्रत्यके माह के 10 तारीख तक सभी अभियोजकगण अपना–अपना प्रतिवेदन जिला विधि शाखा को उपलब्ध करायेगे ताकि बैठक के समय प्रतिवेदन को समेकित कर समीक्षा हेतु लाया जा सके। प्रतिवेदन की प्रभावी समीक्षा हेतु प्रभारी लोक अभियोजक ने बताया कि नया प्रपत्र तैयार नहीं हुआ है। अगली बैठक के पूर्व प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया जायेगा। प्रपत्र के अभाव में किसी भी अधिवक्ता का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(अनुपालन– सभी लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक)

3.वादों का अपर लोक अभियोजकवार आवंटनः

अपर जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि अपर लोक अभियोजको के बीच समानुपातिक तरीके से वादों का आवंटन होना चाहिए। समानुपातिक तरीकें से वादों का बंटवारा नहीं होने के कारण वादों का उचित वितरण नही हो पा रहा है। प्रभारी लोक अभियोजक ने न्यायालयवार सभी सहायक लोक अभियोजकों को सम्बद्ध करा दिया है। प्रभारी लोक अभियोजक ने बताया कि सभी वादों का काण्ड दैनिकी संबंधित न्यायालय के अभिलेख पर वापस करने हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आदेश दिया गया है जिसका अनुपालन अभी तक नहीं हो रहा है। वाद के संबंध में तैयारी हेतु संबंधित प्रभारी अपर लोक अभियोजक न्यायालय में आवेदन देकर काण्ड दैनिकी प्राप्त करेगें तथा ससमय उसे न्यायालय के अभिलेख पर वापस कर देगे। इस व्यवस्था से सम्बंधित अपर लोक अभियोजक के अनुपस्थित रहने पर भी वाद की सुनवाई अगले तिथि के लिए टाला नही जा सकता है।

(अनुपालन– प्रभारी लोक अभियोजक)

4. फास्ट ट्रैक कोर्ट में किये जाने वाले कार्य का भुगतानः

फास्ट ट्रैक कोर्ट से संबंधित अपर लोक अभियोजक को नियमानुसार भुगतान होना चाहिए। कई सहायक लोक अभियोजक द्वारा यह सूचना दी गयी कि उनके द्वारा जो सरकार की ओर से

फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभियोजन की तरफ से पैरवी की जाती है, उसके लिये विपत्र का भुगतान नहीं किया जाता है।

इस संबंध में यह निदेश दिया गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जा रही है पैरवी के विपत्र के भुगतान हेतु संमाहर्ता के स्तर से सरकार को अनुरोध किया जाय। पिछले बैठक में सभी लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक से एक लिखित मांग–पत्र की मांग की गयी थी, जो अबतक अप्राप्त है।

(अनुपालन–सभी अपर लोक अभियोजक, पटना जिला)

5. विपत्र का भुगतान हेतु प्रस्तुत करने के संबंध में:–

प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि विपत्र भुगतान हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 का आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है। अपर लोक अभियोजकों द्वारा समर्पित विपत्र में निम्नलिखित त्रुटियॉ जॉचोपरान्त पायी गयी है:–

1. एक ही तिथि के एक ही समय में विभिन्न पीठासीन पदाधिकारियों के न्यायालय में किये गये कार्यो का विपत्र प्रस्तुत किया जाना।
2. बिना प्राधिकार के सरकारी वादों में किये गये कार्यो का विपत्र प्रस्तुत किया जाना।
3. एक ही तिथि एवं एक ही समय में अलग–अलग न्यायालयों में किये गये कार्यो का विपत्र प्रस्तुत किया जाना ।
4. चार घंटा से कम समय में न्यायालय में किये गये कार्यो का गलत ढ़ग से चार घंटे से अधिक किये गये कार्यो के समतुल्य विपत्र प्रस्तुत करना ।

सरकार का स्पष्ट निदेश है कि एक तिथि में किसी एक कार्य के भुगतान का दावा कर सकते है। एक तिथि एव एकं समय में दर्शाया गया विभिन्न न्यायालय में एक से अधिक कार्यो में किये गये कार्यो के लिए एक से अधिक विपत्र का भुगतान नहीं किया जाएगा। भविष्य में गलत दावे के रूप में प्रस्तुत विपत्र पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी।

जिला पदाधिकारी द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देश के अनुसार लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक द्वारा विपत्र भुगतान के लिए प्रस्तुत किये गये विपत्र को स्वच्छ एंव स्पष्ट होना चाहिये। प्रस्तुत विपत्र के अग्रसारित आवेदन पत्र पर संलग्न राशि का योग प्रत्यके माहवार संलग्न होना चाहिए तथा आवेदन पत्र पर संबंधित अधिवक्ता का नाम, पदनाम एंव पत्राचार का पता स्पष्ट होना चाहिए। उपर्युक्त निदेशों का पालन नही किये जाने पर उनके द्वारा समर्पित विपत्र पर विचार नही किया जाएगा। सरकार के निदेशानुसार सभी अधिवक्ताओं को प्रत्येक माह का विपत्र अगले माह के 15 तारीख तक समर्पित करना है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक माह का विपत्र अगले माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित न्यायालयों द्वारा उसे प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा जिला एव सत्र न्यायाधीश से अनुरोध किया जाय।

(अनुपालन–सभी अपर लोक अभियोजक, पटना जिला)

6. लम्बित बकाया विपत्र का भुगतान:-

उप समाहर्ता विधि शाखा द्वारा बताया गया कि इस मद में आवश्यक उपलब्ध करा दी गयी है तथा नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई हेतु उपलब्ध विपत्रों की जाँच की जा रही है। सरकार के निदेशानुसार सभी संबंधित अधिवक्ता आयकर विवरणी तथा पैन संख्या भी समर्पित करेंगे। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वैसे अभियोजक जो अब सरकार के तरफ से पैरवी करने के लिए अधिकृत नही है, उनके द्वारा समर्पित विपत्रों का भुगतान उनके द्वारा सम्पूर्ण प्रभार सौपने के उपरान्त ही किया जायेगा। विगत बैठक में निदेश दिया गया था कि सभी अधिवक्तागण अपने वादों में किए जा रहे पैरवी का माहवार विपत्र संबंधित न्यायालय से सत्यापित कराकर बैठक के दिन साथ में लायेंगे तथा उन्हे यहा विपत्र प्राप्ति की पावती निर्गत की जाएगी।

(अनुपालन–उप समाहर्ता, प्रभारी विधि शाखा)

7. विधिक मद में आवंटन हेतु अधिवक्तावार मांग:

कई सहायक लोक अभियोजकों द्वारा यह जानकारी दी गयी कि विधि विभाग को लोक अभियोजक/ सहायक लोक अभियोजक के लम्बित बकाया विपत्रों की सूचना अधिवक्ता के नाम के विरूद्ध भेजी जाय ताकि वर्ष 1999–2000 से लाखों रूपये के विपत्र जो आवंटन की प्रत्याशा में लम्बित हैं, का पूर्ण भुगतान कराया जा सके। उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा ने बताया कि अधिवक्तावार अधियाचना विधि विभाग को भेजी गयी थी। आवंटन प्राप्त है तथा भुगतान के संबंध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

(अनुपालन–उप समाहर्ता, प्रभारी विधि शाखा)

8. अनुसंधान पदाधिकारी/आरक्षी पदाधिकारी/डॉक्टर की राज्यस्तरीय डायरेक्टरी तैयार करने के सम्बन्ध में:

अनुसंधान पदाधिकारी,डॉक्टर इत्यादि का स्थायी पता (पोस्ट ऑफिस का पता) का भी उल्लेख चार्ज सीट में किया जाना चाहिए। ऐसा मांग सभी अपर लोक अभियोजक द्वारा किया गया। अनुसंधान पदाधिकारियों कि विस्तृत सूची वेबसाइट पर जारी कर दी गयी है जिसका नाम **htt-p://bis.nic.com** है। डॉक्टर एवं अन्य गवाहों के स्थायी पता का उल्लेख चार्जशीट पर करने हेतु स्वास्थय विभाग एवं वरीय आरक्षी अधीक्षक पटना को एक पत्र निर्गत करने तथा इसकी प्रतिलिपि आरक्षी मुख्यालय को देने का निदेश दिया गया ताकि उनके स्तर से भी इस प्रकार का निदेश सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को निर्गत किया जा सके। आरक्षी उपाधीक्षक प्रत्येक दिन लोक अभियोजक के कार्यालय कक्ष में 11:30 से 12:00 तक उपस्थित रहते है। यदि किसी अपर लोक अभियोजक को डाक्टर/ अनुसंधानकर्त्ता की उपस्थिति के संबंध में यदि कोई समस्या है तो उसे व्यवहार न्यायालय में प्रतिनियुक्त आरक्षी उपाधीक्षक/जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी अनुमण्डल न्यायालय में प्रभारी अपर लोक अभियोजक के कार्यालय में आरक्षी निरीक्षक जाते है। इस संबंध में सूचना पट पर समय तथा पदाधिकारी का नाम प्रदर्शित करना है ताकि उनसे इस समस्या पर विचार किया जा सके। दानापुर न्यायालय मे साक्षियों के उपस्थिति हेतु सम्मन/वारंट के तामिला के संबंध मे संबंधित आरक्षी उपाधीक्षक को निदेश निर्गत करने का निर्णय लिया गया ।

(अनुपालन–वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना)

9. लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकों के फीस का पुनरीक्षणः

सभी लोक अभियोजकों ने पुनः इस बात की मांग की कि उन लोगों को माननीय उच्च न्यायालय के तर्ज पर ही प्रत्येक वाद में किये जाने वाले पैरवी के विरूद्ध फीस का पुर्नरीक्षण किया जाय, ताकि वे पूरे मनोयोग एवं प्रतिबद्धता के साथ सरकार की ओर से पैरवी कर सकें।

इस सम्बन्ध में उप समाहर्त्ता, प्रभारी विधि शाखा को यह निदेश दिया गया था कि वे इन लोगों से प्रस्ताव प्राप्त कर विधि विभाग को भेजें। अधिवक्तओं के द्वारा प्रस्ताव अभी तक नही समर्पित किया गया है। इस बैठक में उक्त प्रस्ताव हेतु पुनः स्मारित किया गया।

(अनुपालन–लोक अभियोजक)

10. कारा से अभियुक्तों का उपस्थापनः

इस सम्बन्ध में समीक्षा करने पर यह पाया गया कि विगत माह में दिये गये निदेश का गुणात्तमक असर हुआ है। अभियुक्तों का उपस्थापन समयावधि में करने हेतु काराधीक्षक निदेशित करने का निर्णय लिया गया ताकि वे अभियुक्तों का उपस्थापन के कार्य को गंभीरता से लें तथा यह सुनिश्चित करें कि अभियुक्तों का उपस्थापन निर्धारित तिथि एवं समय पर न्यायालय में हो । इस बैठक की कार्रवाई की प्रतिलिपि कारा महा निरीक्षक को भी भेजने का निदेश दिया गया। इसके साथ ही लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक से यह अनुरोध किया गया कि यदि किसी चर्चित या गंभीर मामले में कोई लापरवाही होती है, तो इस सम्बन्ध में सूचना अधोहस्ताक्षरी को दें ताकि इस प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई की जा सके। अगली बैठक में सभी कारा अधीक्षकों बैठक में उपस्थित रहने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन–वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना/सभी काराधीक्षक,पटना जिला/लोक अभियोजक, पटना)

11. अन्यान्य

बैठक में निम्नलिखित वादों के सरकारी गवाहों की अनुपस्थिति के कारण वादों का निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब की सूचना दी गयी।

1.	ST –41/2003/बाढ ए0डी0जे0–	I	देवनाथ श्री वास्तव, अ0नि0/डॉ पी0के0 वर्मा
2.	ST –608/2003/बाढ ए0डी0जे0–	III	रामानन्दन प्रसाद सिंह, ए0एस0आई0/ डॉ0 एस0एन0 वर्मा,
3.	ST –1325/1998/ए0डी0जे0–		डॉ0 मो0 नईम/कन्हैया तिवारी, एस0आई0
4.	ST –107/2003/ए0डी0जे0–	II	जगदीश प्रसाद आई0ओ0
5.	ST –718/2004ए0डी0जे0–	VII	विजय कुमार, आई0ओ0जी0आर0पी0 दानापुर

संबंधित गवाहों के उपस्थापन हेतु वरीय आरक्षी अधीक्षक एंव असैनिक शल्य चिकित्सक को स्मारित किया गया था। किन्तु उसका कोई फलाफल नहीं निकला है। संबंधित पदाधिकारियों को पुनः स्मारित करने का निर्णयलिया गया।

यह भी निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के [illegible] जायगी। सभी अभियोजकों ने कोर्ट फी/स्टाम्प की अनुपलब्ध[illegible] आकस्मिक निधि उपलबध कराने अथवा स्टाम्प उपलब्ध क[illegible] इस हेतु सरकार को अधियाचना भेजने का निदेश दिया

न्यायालय परिसर में जाली स्टाम्प का कारोबार हो रहा है। इसके निवारण हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है। गठित टास्क फोर्स को यह निदेश दिया जाता है कि स्टाम्प वेण्डर के दुकान पर न्यायालय के कार्य अवधि में छापामारी कर जाली स्टाम्प को पकड़े तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाय।

बैठक में उपस्थित सभी अभियंताओं से अनुरोध किया गया कि न्यायालय परिसर में जाली स्टाम्प के –ोकथाम हेतु के जाली स्टाम्प के पहचान करने एंव इसके श्रोत के संबंध में मूल्य जानकारी प्रशासन को दे।

* जिलाधिकारी ने सभी अभियोजकों को वर्णित बातों का निष्पादन मुक्त स्तर पर करने का निदेश दिया तथा इन वर्णित बातों में जिस किसी चीज की आवश्यकता हो, उस संबंध में जानकारी देने तथा सहयोग लेने का निदेश दिया।

* अभियोजकों द्वारा यह भी मांग की गयी कि जिला अभियोजन पदाधिकारी/ अनुमण्डल अभियोजन पदाधिकारी द्वारा जिस तरह नोटिसों/सम्मन का तामिला कराया जाता है, उस सुविधा का उपयोग अभियोजकों को भी दिया जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी ने वरीय आरक्षी अधीक्षक को बैठक में भाग लेने हेतु पत्र लिखने का निदेश दिया।

* न्यायालय में स्थित हाजत के पुलिस पदाधिकारी एवं आरक्षियों द्वारा कैदियों के उपस्थापन में जानबूझकर लापरवाही बरती जाती है। उस पर रोक लगाने हेतु वरीय आरक्षी अधीक्षक को न्यायालय में स्थित हाजत में पदस्थापित आरक्षियों एवं पदाधिकारियों के स्थानांतरण करने की आवश्कयता बतायी गयी।

* कारा के अधिकारी अनियमित रूप से विचाराधिन कैदियों को बीमार घोषित नहीं करेगें। इस सम्बंध में सभी काराधीक्षकों को निदेशित करने का निर्णय लिया गया ।

* गवाहों के उपस्थापन हेतु पुनः स्मारित किया जाय।

अपर जिला दण्डाधिकारी
विधि, पटना।

ज्ञापांक..... /विधि,पटना,दिनांक.....

प्रतिलिपि– सभी सम्बन्धित लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना एवं सभी कारा अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अगले निर्धारित बैठक में निश्चित रूप से भाग लें।

अपर जिला दण्डाधिकारी
विधि, पटना।

ज्ञापांक.....2069..... /विधि,पटना,दिनांक.....5.12.12.....

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/सचिव, विधि एवं न्याय विभाग, बिहार, पटना /महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला एवं सत्र न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिला दण्डाधिकारी
विधि, पटना।

P:\P.P. dm. Leagal com Pandarak. A.K.

अपर लोक अभियोजक से संबंधित
अपराधिक वादों से संबंधित मासिक प्रतिवेदन मई 2007

क्र०	अनुमण्डल का नाम	अपर लोक अभियोजक का नाम	30.06.2007 तक कुल प्राप्त काण्डो की संख्या	30.062007 तक कुल निष्पादित काण्डो की संख्या	लम्बित काण्डो की संख्या	आलोच्य माह मे फैसला	सजा की वादों की संख्या	अभियुक्ति
पटना सदर								
1	पटना सदर	श्री गिरजा प्रसाद नं0- I	35		35			
2	"	श्री अरविन्द कुमार सिंह	29	2	27			
3	"	श्री दिलीप कुमार						
4	"	श्री मदन मोहन प्रसाद	24		24			
5	"	श्री अरसद हुसैन	3	1	2			
6	"	श्री चन्द्रभूषण सिंह	44		44			
7	"	श्री राजेश कुमार	84	11	73	2		
8	"	श्री किशोर कुमार सिंह	173	20	153	4		
9	"	श्री अशोक कुमारा यादव	32	7	25			
10	"	श्री रामदेव पासवान	22		22			
11	"	श्री लाल जी	32		32			
12	"	श्री जवाहर लाल	24	2	22	1	1	
13	"	**कुल >**	**502**	**43**	**459**	**07**	**01**	
14	पटना सिटी	श्री गुरमित सिंह	29	—	29			
15		श्री वासिक हुसैन	68	1	67			
16	"	श्री शिव नाथ प्रसाद	37	1	36			
17	"	श्री विजय कुमार	101	3	98			
18	"	श्री राधा कान्त सहगल	446	14	432	2		
19	"	श्री रामाशीष सिंह	14		14			
20	"	मो0 सैयद फैजुल होदा	32		32			
21	"	श्री प्रेम नन्दन श्रीवास्तव	19		19			
		कुल >	**746**	**19**	**727**	**02**		
22	बाढ़	श्री अवनिन्द्र कुमार						
23		श्री जगत नारायण सिंह	49		49			
24	"	मो0 जफरूल होदा	77	1	76			
25	"	श्री अर्जून शर्मा	83	3	80			
26	"	मो0 अली अहमद	76		76			
27	"	श्री प्रभात कुमार	148	15	133	1		
28	"	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह	78		78			
29	"	मो0 समीरउर रहमान	156	8	148	1		
30	"	श्री भूपेन्द्र पासवान	45	3	42			
31	"	श्री राम लखन राय	71	—	71			
32	"	श्री विधयानन्द						
33	"	श्री प्रमोद कुमार	83	2	81			
34	"	श्री विनोद कुमार	65	—	65			
35	"	श्री गणेश दत्त प्रसाद	93	—	93			

36	"	श्री परेशकृष्ण प्रसाद	160		160			
37	"	गो० शलीम	121	11	110	2	1	
38		राम बालक प्रसाद	173	6	167			
39	"	अलाउद्दीन शिकलगी	222	34	186	2	1	
		कुल >	1709	03	1620	06	02	
40	दानापुर	गो० कलाम अंसारी	126	2	124			
41	"	श्री श्याम प्रसाद यादव	75	—	75			
42	"	श्री रामनेश्वर प्रसाद	70		70			
43	"	रघुष्ठर हयात	—	—	—			
44	"	श्री विरेन्द्र प्रसाद	71	4	67			
		कुल >	342	06	336			
		सूची का कुल योग >	3299	101	3148	15	03	

R.K.P. dot. Leagal com Pandarak. A.K.

जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 21.07.07 को समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही

1.उपस्थिति :– यथा पंजी के अनुसारः–

जिला पदाधिकारी ने बैठक प्रारंभ करते हुए स्व0 गुन्नी लाल अपर लोक अभियोजक, पटना सिटी का असमय देहान्त होने के कारण दुःख प्रकट किया गया । इस बैठक के महत्त्व को समझाते हुए कहा कि इस बैठक का उद्देश्य विधि व्यवस्था संधारण में अभियोजन की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। इस बैठक की सूचना लोक अभियोजक एवं प्रत्येक अनुण्मडल के प्रभारी अपर लोक अभियोजक को दी जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि जो लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक किसी वाद में अपराधी को आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड दिलाने में अहम भूमिका निभाते है तो उन्हे पुरस्कृत किया जाएगा। लोक अभियोजक के कार्यालय हेतु एक कम्प्यूटर (डाटा ऑपरेटर के साथ) की मांग पर जिला पदाधिकारी ने बताया कि इसके संबंध में सरकार द्वारा कम्प्यूटर की आवश्यकता को Justify करने का निदेश प्राप्त हुहा है।

(अनुपालन– विधि शाखा)

2. विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन का प्रेषणः

जिला पदाधिकारी ने निदेश दिया कि प्रत्यके माह के 10 तारीख तक सभी अभियोजकगण अपना–अपना प्रतिवेदन जिला विधि शाखा को उपलब्ध करायेगे ताकि बैठक के समय प्रतिवेदन को समेकित कर समीक्षा हेतु लाया जा सके। प्रतिवेदन की प्रभावी समीक्षा हेतु प्रभारी लोक अभियोजक ने बताया कि नया प्रपत्र तैयार नहीं हुआ है। अगली बैठक के पूर्व प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(अनुपालन– सभी लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक)

3.वादों का अपर लोक अभियोजकवार आवंटनः

जिला पदाधिकारी ने बताया कि अपर लोक अभियोजको के बीच समानुपातिक तरीके से वादों का आवंटन होना चाहिए। प्रभारी लोक अभियोजक ने न्यायालयवार सभी अपर लोक अभियोजकों को सम्बद्ध करा दिया है। प्रभारी लोक अभियोजक ने बताया कि सभी वादों का काण्ड दैनिकी संबंधित न्यायालय के अभिलेख पर वापस करने हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आदेश दिया गया है जिसका अनुपालन अभी तक अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी है। वाद के संबंध में तैयारी हेतु संबंधित प्रभारी अपर लोक अभियोजक न्यायालय में आवेदन देकर काण्ड दैनिकी प्राप्त करेगें तथा ससमय उसे न्यायालय के अभिलेख पर वापस कर देगे। अभिलेख से कांड दैनिकी प्राप्त करने वाले अपर लोक अभियोजक, अपना नाम स्पष्ट लिखेगें। जिन्हें काण्ड दैनिकी का प्रभार नही मिला है वे प्रभारी लोक अभियोजक से प्रमाण पत्र मॉग करेगें। इस व्यवस्था से सम्बंधित अपर लोक अभियोजक के अनुपस्थित रहने पर भी वाद की सुनवाई अगले तिथि के लिए टाला नही जा सकता है।

(अनुपालन– प्रभारी लोक अभियोजक)

4. फास्ट ट्रैक कोर्ट में किये जाने वाले कार्य का भुगतानः

फास्ट ट्रैक कोर्ट से संबंधित अपर लोक अभियोजक को नियमानुसार भुगतान होना चाहिए। कई अपर लोक अभियोजक द्वारा यह सूचना दी गयी कि उनके द्वारा जो सरकार की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभियोजन की तरफ से पैरवी की जाती है, उसके लिये विपत्र का भुगतान नहीं किया जाता है। लिखित मांग पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायगी।

(अनुपालन–सभी अपर लोक अभियोजक, पटना जिला)

5. विपत्र का भुगतान हेतु प्रस्तुत करने के संबंध में:–

प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि विपत्र भुगतान हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 में 35 लाख रूपये प्राप्त हुआ है। भुगतान अगले माह में कर दिया जाएगा। वर्त्तमान में कूल 52 लाख रूपये का विपत्र भुगतान हेतु लंबित है। शेष आवंटन की मांग सरकार से की जाएगी।

जिला पदाधिकारी द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देश के अनुसार लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक द्वारा विपत्र भुगतान के लिए प्रस्तुत किये गये विपत्र को स्वच्छ एंव स्पष्ट होना चाहिये। प्रस्तुत विपत्र के अग्रसारित आवेदन पत्र पर संलग्न राशि का योग प्रत्यके माहवार संलग्न होना चाहिए तथा आवेदन पत्र पर संबंधित अधिवक्ता का नाम, पदनाम एंव पत्राचार का पता स्पष्ट होना चाहिए। उपर्युक्त निदेशों का पालन नही किये जाने पर उनके द्वारा समर्पित विपत्र पर विचार नही किया जाएगा। सरकार के निदेशानुसार सभी अधिवक्ताओं को प्रत्येक माह का विपत्र अगले माह के 15 तारीख तक समर्पित करना है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक माह का विपत्र अगले माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित न्यायालयों द्वारा उसे प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा जिला एव सत्र न्यायाधीश से अनुरोध किया जाय।

(अनुपालन–सभी अपर लोक अभियोजक, पटना जिला)

6. लम्बित बकाया विपत्र का भुगतानः–

उप समाहर्ता विधि शाखा द्वारा बताया गया कि इस मद में आवंटन उपलब्ध हो गया है तथा नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई हेतु उपलब्ध विपत्रों की जॉच की जा रही है। सरकार के निदेशानुसार सभी संबंधित अधिवक्ता आयकर विवरणी तथा पैन संख्या भी समर्पित करेगें। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वैसे अभियोजक जो अब सरकार के तरफ से पैरवी करने के लिए अधिकृत नही है, उनके द्वारा समर्पित विपत्रों का भुगतान उनके द्वारा सम्पूर्ण प्रभार सौपनें के उपरान्त ही किया जायेगा। विगत बैठक में निदेश दिया गया था कि सभी अधिवक्तागण अपने वादों में किए जा रहे पैरवी का माहवार विपत्र संबंधित न्यायालय से सत्यापित कराकर बैठक के दिन साथ में लायेंगे तथा उन्हें यहां विपत्र प्राप्ति की पावती निर्गत की जाएगी।

(अनुपालन–उप समाहर्ता, प्रमारी विधि शाखा)

7. विधिक मद में आवंटन हेतु अधिवक्तावार मांगः

कई अपर लोक अभियोजकों द्वारा यह जानकारी दी गयी कि विधि विभाग को लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक के लम्बित बकाया विपत्रों की सूचना अधिवक्ता के नाम के विरूद्ध भेजी जाय ताकि वर्ष 1999–2000 से लाखों रूपये के विपत्र जो आवंटन की प्रत्याशा में लम्बित हैं, का पूर्ण भुगतान

कराया जा सके। उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा ने बताया कि अधिवक्तावार अधियाचना विधि विभाग को भेजी गयी थी। आवंटन प्राप्त है तथा भुगतान के संबंध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। 35 लाख प्राप्त आंवटन में से सूचि के अनुसार भुगतान संबधी कार्यवाही की जा रही है।

(अनुपालन–उप समाहर्ता, प्रभारी विधि शाखा)

8. अनुसंधान पदाधिकारी/आरक्षी पदाधिकारी/डॉक्टर की राज्यस्तरीय डायरेक्टरी तैयार करने के सम्बन्ध में:

अनुसंधान पदाधिकारी,डॉक्टर इत्यादि का स्थायी पता (पोस्ट ऑफिस का पता) का भी उल्लेख चार्ज सीट में किया जाना चाहिए। वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना ने पत्र के माध्यम से सभी अधिनस्थ पदाधिकारियों को उक्त निदेश दिया है। अनुसंधान पदाधिकारियों कि विस्तृत सूची वेवसाइट पर जारी कर दी गयी है जिसका नाम **htt-p://bis.nic.com** है। आरक्षी उपाधीक्षक प्रत्येक दिन लोक अभियोजक के कार्यालय कक्ष में 11:30 से 12:00 तक उपस्थित रहते है। यदि किसी अपर लोक अभियोजक को डाक्टर/ अनुसंधानकर्त्ता की उपस्थिति के संबंध में यदि कोई समस्या है तो उसे व्यवहार न्यायालय में प्रतिनियुक्त आरक्षी उपाधीक्षक/जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी अनुमण्डल न्यायालय में प्रभारी अपर लोक अभियोजक के कार्यालय में आरक्षी निरीक्षक जाते है। इस संबंध में सूचना पट पर समय तथा पदाधिकारी का नाम प्रदर्शित करना है ताकि उनसे इस समस्या पर विचार किया जा सके। दानापुर न्यायालय मे साक्षियों के उपस्थिति हेतु सम्मन/वारंट के तामिला के संबंध मे संबंधित आरक्षी उपाधीक्षक को निदेश निर्गत करने का निर्णय लिया गया । साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु ठोस कदम उठाने का भी निदेश दिया गया ।

(अनुपालन–वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना)

9. लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकों के फीस का पुनरीक्षण:

सभी लोक अभियोजकों ने पुनः इस बात की मांग की कि उन लोगों को माननीय उच्च न्यायालय के तर्ज पर ही प्रत्येक वाद में किये जाने वाले पैरवी के विरूद्ध फीस का पुर्नरीक्षण किया जाय, ताकि वे पूरे मनोयोग एवं प्रतिबद्धता के साथ सरकार की ओर से पैरवी कर सकें। इस संबंध में प्रस्ताव अभी तक अप्राप्त है।

(अनुपालन–लोक अभियोजक)

10. कारा से अभियुक्तों का उपस्थापन:

इस सम्बन्ध में समीक्षा करने पर यह पाया गया कि विगत माह में दिये गये निदेश का गुणात्तमक असर हुआ है। अभियुक्तों का उपस्थापन समयावधि में करने हेतु काराधीक्षक को निदेशित करने का निर्णय लिया गया ताकि वे अभियुक्तों का उपस्थापन के कार्य को गंभीरता से लें तथा यह सुनिश्चित करें कि अभियुक्तों का उपस्थापन निर्धारित तिथि एवं समय पर न्यायालय में हो। इस बैठक की कार्रवाई की प्रतिलिपि कारा महा निरीक्षक को भी भेजने का निदेश दिया गया। इसके साथ ही लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक से यह अनुरोध किया गया कि यदि किसी चर्चित या गंभीर मामले में कोई लापरवाही होती है, तो इस सम्बन्ध में सूचना अधोहस्ताक्षरी को दें ताकि इस प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई की जा सके। अगली बैठक में सभी कारा अधीक्षकों बैठक में उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना/सभी कारापदाधिकारी,पटना जिला/लोक अभियोजक, पटना)

11. अन्यान्य

विगत बैठक में निम्नलिखित वादों के सरकारी गवाहों की अनुपस्थिति के कारण वादों का निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब की सूचना दी गयी थी जिसका अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है।

1.	ST –41/2003/बाढ़ ए0डी0जे0–	I	देवनाथ श्री वास्तव, अ0नि0/डॉ पी0के0 वर्मा
2.	ST –608/2003/बाढ़ ए0डी0जे0–	III	रामानन्दन प्रसाद सिंह, ए0एस0आई0/ डॉ0 एस0एन0 वर्मा,
3.	ST –1325/1998/ए0डी0जे0–		डॉ0 गो0 नईम/कन्हैया तिवारी, एस0आई0
4.	ST –107/2003/ए0डी0जे0–	II	जगदीश प्रसाद आई0ओ0
5.	ST –718/2004ए0डी0जे0–	VII	विजय कुमार, आई0ओ0जी0आर0पी0 दानापुर

संबंधित गवाहों के उपस्थापन हेतु वरीय आरक्षी अधीक्षक एंव अरौनिक शल्य चिकित्सक को स्मारित किया गया था। किन्तु उसका कोई फलाफल नहीं निकला है। इस संबंध में पुनः वरीय पुलिस आरक्षी अधीक्षक, पटना से अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु स्मारित करने का निदेश दिया गया ।

सभी अभियोजकों ने कोर्ट फी/स्टाम्प की अनुपलब्धता के बारे में जानकारी दी तथा स्टाम्प उपलब्ध कराने की मांग की। बैठक में यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि व्यवहार न्यायालय मालखना कार्य नहीं कर रहा है। मालखाना के सामानों की सूचि बनाना अति आवश्यक है। इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। व्यवहार न्यायालय परिसर में जाली स्टाम्प का कारोबार हो रहा है। इसके निराकरण हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है। गठित टास्क फोर्स को यह निदेश दिया जाता है कि स्टाम्प भेण्डर के दुकान पर न्यायालय के कार्य अवधि में छापामारी कर जाली स्टाम्प को पकड़े तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाय। छापामारी और अधिक तेज करने पर भी बल दिया गया ताकि ठोस कार्रवाई की जा सके।

(अनुपालन–वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना

बैठक में उपस्थित सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया कि न्यायालय परिसर में जाली स्टाम्प के –रोकथाम हेतु जाली स्टाम्प के पहचान करने एंव इसके श्रोत के संबंध में गुप्त जानकारी प्रशासन को दे।

* जिलाधिकारी ने सभी अभियोजकों को चर्चित वादों का निष्पादन युद्ध स्तर पर कराने का निदेश दिया तथा इन चर्चित वादों में जिस किसी चीज की आवश्यकता हो, उस संबंध में जानकारी देने तथा सहयोग लेने का निदेश दिया।

* अभियोजकों द्वारा यह भी मांग की गयी कि जिला अभियोजन पदाधिकारी/ अनुमण्डल अभियोजन पदाधिकारी द्वारा जिस तरह नोटिसों/सम्मन का तामिला कराया जाता है, उस सुविधा का उपयोग अभियोजकों को भी दिया जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी ने वरीय आरक्षी अधीक्षक को बैठक में भाग लेने हेतु पत्र लिखने का निदेश दिया।

न्यायालय में स्थित हाजत के पुलिस पदाधिकारी एवं आरक्षियों द्वारा कैदियों के उपस्थापन में जानबूझकर लापरवाही बरती जाती है। उस पर रोक लगाने हेतु वरीय आरक्षी अधीक्षक को न्यायालय में स्थित हाजत में पदस्थापित आरक्षियों एवं पदाधिकारियों के स्थानांतरण करने की आवश्कयता बतायी गयी।

(डॉ०बी० राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक 2509 /विधि,पटना,दिनांक 14/8/07

प्रतिलिपि– सभी सम्बन्धित लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना एवं सभी कारा अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अगले निर्धारित बैठक में निश्चित रूप से भाग लें।

(डॉ०बी० राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक 2509 /विधि,पटना,दिनांक 14/8/07

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/सचिव, विधि एवं न्याय विभाग, बिहार, पटना /महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला एवं सत्र न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajender 13.8.2007

(डॉ०बी० राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना।

D:R.K.P. dot. Leagal com Pandarak. A.K.

अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 29.09.07 को सभाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही

1.उपस्थिति :– यथा पंजी के अनुसार:–

जिला पदाधिकारी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना के साथ अन्य बैठक में व्यस्त रहने के कारण अपर जिला दण्डाधिकारी ने बैठक की अध्यक्षता की। अपर जिला दण्डाधिकारी ने बैठक के महत्त्व को बताते हुए कहा कि इस बैठक का उद्देश्य विधि व्यवस्था संधारण में अभियोजन की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। इस बैठक की सूचना लोक अभियोजक एवं प्रत्येक अनुमंडल के प्रभारी अपर लोक अभियोजक को दी जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि जो लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक किसी वाद में अपराधी को आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड दिलाने में अहम भूमिका निभाते है तो उन्हे पुरस्कृत किया जाएगा।

(अनुपालन– विधि शाखा, पटना)

2. विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन का प्रेषण:

अपर जिला दण्डाधिकारी ने निदेश दिया कि प्रत्येक माह के 10 तारीख तक ससमय सभी अभियोजकगण अपना–अपना प्रतिवेदन जिला विधि शाखा को उपलब्ध करायेगे जिसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि पूर्व से कितने वाद लंबित थे एवं वर्त्तमान माह में कितने मामलों का निष्पादन किया गया तथा वर्त्तमान में कितने वाद लंबित है। सार्थक कोशिश यह होना चाहिए कि अधिक–से–अधिक वादों का यथाशीघ्र निष्पादन किया जा सके।

(अनुपालन– सभी लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक)

3.वादों का अपर लोक अभियोजकवार आवंटन:

अपर जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि केस डायरी के स्थानांतरण की कार्रवाई चल रही है। केस डायरी अब अभिलेख में ही रहता है जिससे Contested Case में गवाह को Brief करने में कठिनाई होती है। इसके निराकरण हेतु प्रभारी लोक अभियोजक से राय लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लोक अभियोजको के बीच समानुपातिक तरीके से वादों का आवंटन होना चाहिए। अभी भी समानुपातिक तरीके से वादों का आंवटन नहीं होने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई। सभी वादों का काण्ड दैनिकी संबंधित न्यायालय के अभिलेख पर वापस करने हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आदेश दिया गया है जिसके अनुपालन में अपेक्षित प्रगति हुई है। वाद के संबंध में तैयारी हेतु संबंधित प्रभारी अपर लो अभियोजक न्यायालय में आवेदन देकर काण्ड दैनिकी प्राप्त करेगें तथा ससमय उसे न्यायालय के अ पर वापस कर देगे। अभिलेख से कांड दैनिकी प्राप्त करने वाले अपर लोक अभियोजक, अपना ना लिखेगें। जिन्हें काण्ड दैनिकी का प्रभार नही मिला है उनसे प्रभारी लोक अभियोजक अभिलेख पत्र मॉग करेगें। इस व्यवस्था से सम्बंधित अपर लोक अभियोजक के अनुपस्थित रहने पर भी सुनवाई अगले तिथि के लिए टाला नही जा सकता है। नवनियुक्त अपर लोक अभियोजक प्रतिवेदन के साथ प्रभार देने तथा प्राप्त करने की व्यवस्था की जाय।

(अनुपालन– प्रभारी लोक अभियोजक)

4. फास्ट ट्रैक कोर्ट में किये जाने वाले कार्य का भुगतानः–

फास्ट ट्रैक कोर्ट से संबंधित अपर लोक अभियोजक को नियमानुसार भुगतान
चाहिए। कई अपर लोक अभियोजक द्वारा यह सूचना दी गयी कि उनके द्वारा जो सरकार की ओ
फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभियोजन की तरफ से पैरवी की जाती है, उसके लिये विपत्र भुगतान हेतु अगले
से विपत्र समर्पित करेगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में किये गये पैरवी मद से समर्पित विपत्र का भुगतान जिला
शाखा द्वारा अगले माह से करने का निर्णय लिया गया है।

(अनुपालन–सभी अपर लोक अभियोजक, पटना जिला)

5. विपत्र का भुगतान हेतु प्रस्तुत करने के संबंध में:–

प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि विपत्र भुगतान हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 में
लाख रूपये प्राप्त हुआ है। भुगतान की कार्रवाई की जा चुकी है। अधिवक्ताओं का विपत्र उनके
Pan no. इत्यादि के कारण लंबित है।

जिला पदाधिकारी द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देश के अनुसार लोक अभियोजक/अपर
अभियोजक द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत किये गये विपत्र को स्वच्छ एंव स्पष्ट होना चाहिये। प्रस्तुत
के अग्रसारित आवेदन पत्र पर संलग्न राशि का योग प्रत्यके माहवार संलग्न होना चाहिए तथा आवेदन
पर संबंधित अधिवक्ता का नाम, पदनाम एंव पत्राचार का पता स्पष्ट होना चाहिए। उपर्युक्त निदेश
पालन नही किये जाने पर उनके द्वारा समर्पित विपत्र पर विचार नही किया जाएगा। सरकार
निदेशानुसार सभी अधिवक्ताओं को प्रत्येक माह का विपत्र अगले माह के 15 तारीख तक समर्पित करन
यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक माह का विपत्र अगले माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किये जा
संबंधित न्यायालयों द्वारा उसे प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु जिला पदाधिकारी के स्तर से जिला एव
न्यायाधीश को अनुरोध करने का निर्णय लिया गया ।

(अनुपालन–सभी अपर लोक अभियोजक, जिला/जिला विधि शाखा, पटना)

6. लम्बित बकाया विपत्र का भुगतानः–

उप समाहर्ता विधि शाखा द्वारा बताया गया कि इस मद में आवंटन उपलब्ध हो
तथा नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई की गयी है। सभी अधिवक्ताओं जिनका भुगतान किया
उसका सूची प्रचारित किया गया है। सरकार के निदेशानुसार सभी संबंधित अधिवक्ता आयकर
तथा पैन संख्या भी समर्पित करेगें। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वैसे अभियोजक
सरकार के तरफ से पैरवी करने के लिए अधिकृत नही है, उनके द्वारा समर्पित विपत्रों का भुगतान

द्वारा सम्पूर्ण प्रभार सौपनें के उपरान्त ही किया जायेगा। विगत बैठक में निदेश दिया गया था कि सभी अधिवक्तागण अपने वादों में किए जा रहे पैरवी का माहवार विपत्र संबंधित न्यायालय से सत्यापित कराकर बैठक के दिन साथ में लायेंगे तथा उन्हें यहां विपत्र प्राप्ति की पावती निर्गत की जाएगी।

(अनुपालन–उप समाहर्ता, प्रभारी विधि शाखा)

7. विधिक मद में आवंटन हेतु अधिवक्तावार मांग:

उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा ने बताया कि अधिवक्तावार अधियाचना विधि विभाग को भेजी गयी थी। आवंटन प्राप्त है तथा भुगतान के संबंध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। 35 लाख प्राप्त आंवटन में से सूचि के अनुसार भुगतान संबधी कार्यवाही की गई है।

(अनुपालन–उप समाहर्ता, प्रभारी विधि शाखा)

8. अनुसंधान पदाधिकारी/आरक्षी पदाधिकारी/डॉक्टर की राज्यस्तरीय डायरेक्टरी तैयार करने के सम्बन्ध में:

सरकारी गवाहों की अनुपस्थिति के कारण वादों के निष्पादन में अत्यधिक विलम्ब होता है। राज्य स्तर पर अनुसंधान पदाधिकारी/डाक्टर इत्यादि राज्यस्तरीय डायरेक्टरी तैयार करने की आवश्यकता महसुस की गई है। इसके लिए गृह विभाग से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया । अनुसंधान पदाधिकारी,डॉक्टर इत्यादि का स्थायी पता (पोस्ट ऑफिस का पता) का भी उल्लेख चार्ज सीट में किया जाना चाहिए। वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना ने पत्र के माध्यम से सभी अधिनस्थ पदाधिकारियों को उक्त निदेश दिया है। यदि किसी अपर लोक अभियोजक को डाक्टर/ अनुसंधानकर्त्ता की उपस्थिति के संबंध में यदि कोई समस्या है तो उसे व्यवहार न्यायालय में प्रतिनियुक्त आरक्षी उपाधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी अनुमण्डल न्यायालय में प्रभारी अपर लोक अभियोजक के कार्यालय में आरक्षी निरीक्षक जाते है ताकि उनसे इस समस्या पर विचार किया जा सके। दानापुर न्यायालय मे साक्षियों के उपस्थिति हेतु सम्मन/वारंट के तामिला के संबंध मे संबंधित आरक्षी उपाधीक्षक को निदेश निर्गत करने का निर्णय लिया गया । साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु ठोस कदम उठाने का भी निदेश दिया गया आरोप पत्र में सभी साक्षियों का नाम एंव विस्तृत रूप से पता होना चाहिए। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से अगले बैठक मे उपस्थित रहने हेतु पुनः अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन–वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना)

9. लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकों के फीस का पुनरीक्षण:

सभी लोक अभियोजकों ने पुनः इस बात की मांग की कि उन लोगों को माननीय उच्च न्यायालय के तर्ज पर ही प्रत्येक वाद में किये जाने वाले पैरवी के विरूद्ध फीस का पुर्नरीक्षण किया जाय, ताकि वे पूरे मनोयोग एवं प्रतिवद्धता के साथ सरकार की ओर से पैरवी कर सकें। इस संबंध में लिखित प्रस्ताव अभी तक अप्राप्त है।

(अनुपालन–लोक अभियोजक)

10. कारा से अभियुक्तों का उपस्थापन:

इस सम्बन्ध में समीक्षा करने पर यह पाया गया कि विगत माह में दिये गये निदेश गुणात्तमक असर हुआ है। अभियुक्तों का उपस्थापन समयावधि में करने हेतु सभी उपस्थित काराधी द्वारा दूरभाष संख्या बताया गया जो निम्न प्रकार है।

कमांक	कारा का नाम	दूरभाष संख्या
1	आदेश केन्द्रीय कारा बेऊर , पटना	
2	उप कारा फुलवारी शरीफ, पटना	
3	उप कारा ,मसौढ़ी	
4	उप कारा सिटी	
5	उप कारा बाढ़	
6	उप कारा दानापुर	

सभी काराधीक्षकों को निदेश दिया गया कि वे अभियुक्तों के उपस्थापन के कार्य को गंभीरता से लें यह सुनिश्चित करें कि अभियुक्तों का उपस्थापन निर्धारित तिथि एवं समय पर न्यायालय में हो। इसके ही लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक से यह अनुरोध किया गया कि यदि किसी चर्चित या मामले में कोई लापरवाही होती है, तो इस सम्बन्ध में सूचना अधोहस्ताक्षरी को दें ताकि इस प्रका लापरवाही पर कार्रवाई की जा सके।

(अनुपालन–वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना/सभी काराधीक्षक,पटना जिला/ अभियोजक, पटना)

<u>वादों के त्वरित निष्पादन में निम्नलिखित कारणों की पहचान की गयी:–</u>

1. अनुसंधान पदाधिकारी/डॉक्टर की अनुपस्थिति:–
2. मालखाना से प्रदर्श का न्यायालय में नहीं भेजा जाना।
3. F.S.L. का प्रतिवेदन समय से नहीं आना।
4. कैदियों का ससमय उपस्थापन कारा से नहीं होना।
5. स्वतंत्र गवाहों के मन में भय का उत्पन्न होना ।
6. सम्मन/वारंट का सही तरीके से तामिला नहीं होना।
7. न्यायालय खाली रहने के कारण निष्पादन में कमी।

उक्त कारणों की विवेचना की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त कमियों क करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

<u>11. अन्यान्य</u>

विगत बैठक में निम्नलिखित वादों के सरकारी गवाहों की अनुपस्थिति के कारण वाद निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब की सूचना दी गयी थी जिसका अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है

1. ST –41/2003/बाढ ए0डी0जे0– I — देवनाथ श्री वास्तव, अ0नि0/डॉ पी0के0 वर्मा
2. ST –608/2003/बाढ ए0डी0जे0– III — रामानन्दन प्रसाद सिंह, ए0एस0आई0/ डॉ० एस0एन0 वर्मा,
3. ST –1325/1998/ ए0डी0जे0– — डॉ0 मो0 नईम/कन्हैया तिवारी, एस0आई0

	ST –107/2003/ ए0डी0जे0–	II	जगदीश प्रसाद आई0ओ0
	ST –718/2004 ए0डी0जे0–	VII	विजय कुमार, आई0ओ0जी0आर0पी0 दानापुर
4.	ST –1021/ मोकामा		अनुसंधानकर्त्ता मुजफ्फरपुर में है नहीं आते है।
5.	ST –718/2003 ए0डी0जे0–	VII	आई0ओ0जी0आर0पी0 दानापुर
6.	ST –711/2001 ए0डी0जे0–	VII	चन्देश्वर प्रसाद सिन्हा, एस0आई मोकामा
7.	ST –613/2006 ए0डी0जे0–	VII	रागबालक प्रसाद एस0आई गोकामा
8			
9.			

संबंधित गवाहों के उपस्थापन हेतु वरीय आरक्षी अधीक्षक एंव असैनिक शल्य चिकित्सक को स्मारित किया गया था। किन्तु उसका कोई फलाफल नहीं निकला है। इस संबंध में पुनः वरीय पुलिस आरक्षी अधीक्षक, पटना को अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त भेजने हेतु स्मारित करने का निदेश दिया गया ।

सभी अभियोजकों ने कोर्ट फी/स्टाम्प की अनुपलब्धता के बारे में जानकारी दी तथा स्टाम्प उपलब्ध कराने की मांग की। व्यवहार न्यायालय परिसर में जाली स्टाम्प का कारोबार हो रहा है। इसके निराकरण हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है। गठित टास्क फोर्स को यह निदेश दिया जाता है कि स्टाम्प भेण्डर के दुकान पर न्यायालय के कार्य अवधि में छापामारी कर जाली स्टाम्प को पकड़े तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाय। छापामारी और अधिक तेज करने पर भी बल दिया गया ताकि ठोस कार्रवाई की जा सके।

(अनुपालन–वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना

बैठक में उपस्थित श्याम प्रसाद यादव अपर लोक अभियोजन ने बताया कि दानापुर में जाली स्टाम्पों की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। कोई छापामारी नहीं की गयी है । दिनांक 03.10.07 को छापामारी करने का निर्णय लिया गया ।

* अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि ने सभी अभियोजकों को चर्चित वादों का निष्पादन युद्ध स्तर पर कराने का निदेश दिया तथा इन चर्चित वादों में जिस किसी चीज की आवश्यकता हो, उस संबंध में जानकारी देने तथा सहयोग लेने का निदेश दिया। सम्मन वारंट का फार्म छपाने हेतु गुलजार बाग प्रेस को पर लिखने का निर्णय लिया गया है।

* अभियोजकों द्वारा यह भी मांग की गयी कि जिला अभियोजन पदाधिकारी/ अनुमण्डल अभियोजन पदाधिकारी द्वारा जिस तरह नोटिसों/सम्मन का तामिला कराया जाता है, उस सुविधा का उपयोग अभियोजकों को भी दिया जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी ने वरीय आरक्षी अधीक्षक को बैठक में भाग लेने हेतु पत्र लिखने का निदेश दिया।

* न्यायालय में स्थित हाजत के पुलिस पदाधिकारी एवं आरक्षियों द्वारा कैदियों के उपस्थापन में जानबूझकर लापरवाही बरती जाती है। उस पर रोक लगाने हेतु वरीय आरक्षी अधीक्षक को न्यायालय में स्थित हाजत में पदस्थापित आरक्षियों एवं पदाधिकारियों के स्थानांतरण करने की आवश्कयता बतायी गयी।

अपर जिला दण्डाधिकारी
विधि, पटना।

ज्ञापांक..... /विधि,पटना,दिनांक.....

प्रतिलिपि– सभी सम्बन्धित लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:– वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना एवं सभी कारा अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध कि अगले निर्धारित बैठक में निश्चित रूप से भाग लें।

अपर जिला दण्डाधिकारी
विधि, पटना।

ज्ञापांक 3070 /विधि,पटना,दिनांक 8/10/09

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्र
पटना/सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/सचिव, विधि एवं न्याय विभाग, बिहार,
/महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला एवं सत्र न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

8/10/09

अपर जिला दण्डाधिकारी
विधि, पटना।

जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 27.10.07 को सभागारण्यालय सभा कक्ष में आयोजित लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही

1.उपस्थिति :– यथा पंजी के अनुसारः–

जिला पदाधिकारी ने बैठक प्रारंभ करते हुए सभी अपर लोक अभियोजकों को दुर्गा पूजा, एवं ईद की शुभकामनाएँ व्यक्त करते हुए इस बैठक का उद्देश्य विधि व्यवस्था संधारण में अभियोजन की व्यवस्था को सुदृढ करना बताया। इस बैठक की सूचना लोक अभियोजक एवं प्रत्येक अनुमण्डल के प्रभारी अपर लोक अभियोजक को दी जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि जो लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक किसी वाद में अपराधी को आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड दिलाने में अहम भूमिका निभाते है तो उन्हे पुरस्कृत किया जाएगा।

(अनुपालन– विधि शाखा, पटना)

2. विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन का प्रेषणः–

जिला पदाधिकारी ने सभी अपर लोक अभियोजकों निदेश दिया कि प्रत्येक माह के 10 तारीख तक ससमय अपना–अपना प्रतिवेदन जिला विधि शाखा को संलग्न प्रपत्र में उपलब्ध करायेगे जिसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि पूर्व से कितने वाद लंबित थे एवं वर्त्तमान माह में कितने मामलों का निष्पादन किया गया तथा वर्त्तमान में कितने वाद लंबित है। सार्थक कोशिश यह होना चाहिए कि अधिक–से–अधिक वादों का यथाशीघ्र निष्पादन किया जा सके।

(अनुपालन– सभी लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक)

3.वादों का अपर लोक अभियोजकवार आवंटनः–

जिला पदाधिकारी ने बताया कि केस डायरी के स्थानांतरण की कार्रवाई चल रही है। केस डायरी अब अभिलेख में ही रहता है जिससे Contested Case में गवाह को Brief करने में कठिनाई होती है। इसके निराकरण हेतु प्रभारी लोक अभियोजक से राय लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लोक अभियोजको के बीच समानुपातिक तरीके से वादों का आवंटन होना चाहिए। अभी भी समानुपातिक तरीके से वादों का आंवटन नहीं होने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई। सभी वादों का काण्ड दैनिकी संबंधित न्यायालय के अभिलेख पर वापस करने हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आदेश दिया गया है जिसके अनुपालन में अपेक्षित प्रगति हुई है। वाद के संबंध में तैयारी हेतु संबंधित प्रभारी अपर लोक अभियोजक न्यायालय में आवेदन देकर काण्ड दैनिकी प्राप्त करेगें तथा ससमय उसे न्यायालय के अभिलेख पर वापस कर देगे। अभिलेख से कांड दैनिकी प्राप्त करने वाले अपर लोक अभियोजक, अपना नाम स्पष्ट लिखेगें। जिन्हें काण्ड दैनिकी का प्रभार नही मिला है उनसे प्रभारी लोक अभियोजक अभिलेख पर प्रमाण पत्र माँग करेगें। इस व्यवस्था से सम्बंधित अपर लोक अभियोजक के अनुपस्थित रहने पर भी वाद की सुनवाई अगले तिथि के लिए टाला नही जा सकता है। नवनियुक्त अपर लोक अभियोजकों में प्रभार प्रतिवेदन के साथ प्रभार देने तथा प्राप्त करने की व्यवस्था की जाय।

(अनुपालन– प्रभारी लोक अभियोजक)

4. फास्ट ट्रैक कोर्ट में किये जाने वाले कार्य का भुगतानः—

फास्ट ट्रैक कोर्ट से संबंधित अपर लोक अभियोजक को नियमानुसार भुगतान होना चाहिए। कई अपर लोक अभियोजक द्वारा यह सूचना दी गयी कि उनके द्वारा जो सरकार की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभियोजन की तरफ से पैरवी की जाती है, उसके लिये विपत्र भुगतान हेतु अगले माह से विपत्र समर्पित करेगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में किये गये पैरवी मद से समर्पित विपत्र का भुगतान जिला विधि शाखा द्वारा अगले माह से करने का निर्णय लिया गया है। अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में किये गये पैरवी का विपत्र विधि शाखा में अप्राप्त है।

(अनुपालन—सभी अपर लोक अभियोजक, पटना जिला)

5. विपत्र का भुगतान हेतु प्रस्तुत करने के संबंध में:—

जिला पदाधिकारी ने बताया कि मार्च 2007 तक का विपत्र 25.11.07 तक जो अपर लोक अभियोजक विपत्र प्रस्तुत करेगें, उसकी समेकित सूची तैयार कर समुचित आवंटन सरकार से मांग की जाएगी। उक्त तिथि के बाद प्राप्त विपत्रों का भुगतान की कार्रवाई इस वर्ष के आवंटन से नहीं की जाएगी। सरकार द्वारा वर्ष 2007—08 में 35 लाख रूपये प्राप्त हुआ है। जिसकी निकासी पूर्व में लिये गये निर्णय के आलोक में की गयी है। भुगतान सूची बैठक में प्रकाशित की जा चुकी है। शेष बचे आवंटन से चिकित्सा के आधार पर एवं पैनल हटे एवं अच्छे कार्य करने वाले अपर लोक अभियोजको को प्रशंसा के आधार पर भुगतान की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया । श्री गजेन्द्र सिंह अपर लोक अभियोजक द्वारा इस संबंध में असहमति व्यक्त की गयी।

ज़िला पदाधिकारी द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देश के अनुसार लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत किये गये विपत्र को स्वच्छ एंव स्पष्ट होना चाहिये। प्रस्तुत विपत्र के अग्रसारित आवेदन पत्र पर संलग्न राशि का योग प्रत्यके माहवार संलग्न होना चाहिए तथा आवेदन पत्र पर संबंधित अधिवक्ता का नाम, पदनाम एंव पत्राचार का पता स्पष्ट होना चाहिए। उपर्युक्त निदेशों का पालन नही किये जाने पर उनके द्वारा समर्पित विपत्र पर विचार नही किया जाएगा। सरकार के निदेशानुसार सभी अधिवक्ताओं को प्रत्येक माह का विपत्र अगले माह के 15 तारीख तक समर्पित करना है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक माह का विपत्र अगले माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित न्यायालयों द्वारा उसे प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु जिला पदाधिकारी के स्तर से जिला एव सत्र न्यायाधीश को अनुरोध किया गया ।

(अनुपालन—सभी अपर लोक अभियोजक, पटना जिला/जिला विधि शाखा, पटना)

6. लम्बित बकाया विपत्र का भुगतानः—

उप समाहर्ता विधि शाखा द्वारा बताया गया कि इस मद में आवंटन उपलब्ध हो गया है तथा नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई की गयी है। सभी अधिवक्ताओं जिनका भुगतान किया गया है उसका सूची प्रकाशित किया गया है। सरकार के निदेशानुसार सभी संबंधित अधिवक्ता आयकर विवरणी तथा पैन संख्या भी समर्पित करेगें। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वैसे अभियोजक जो अब सरकार के तरफ से पैरवी करने के लिए अधिकृत नही है, उनके द्वारा समर्पित विपत्रों का भुगतान उनके

बाद सम्पूर्ण प्रभाव वसीयत के समाप्त हो जायेगा। विगत बैठक में निदेश दिया गया था कि सभी अधिवक्तागण अपने मामलों में लिए जा रहे पैरवी का माहवार विवरण संबंधित न्यायालय से प्राप्त कराकर बैठक के लिए भाग में लायेंगे तथा उन्हें भावी विवरण प्राप्ति की जानकारी निर्गत की जायेगी।

(अनुपालन–उप महाधिवक्ता, प्रभारी विधि शाखा)

8. विधिक मत में आवेदन हेतु अधिवक्ताओं से मांग:

उप महाधिवक्ता प्रभारी विधि शाखा ने बताया कि अधिवक्ताओं से अधिवक्ता विधि विभाग को भेजी गयी थी। आवेदन प्राप्त है तथा भुगतान के संबंध में नियमानुसार कार्यवाई की जा रही है। 35 लाख प्राप्त आवेदन में से सूचि के अनुसार भुगतान संबंधी कार्यवाही की गई है।

(अनुपालन–उप महाधिवक्ता, प्रभारी विधि शाखा)

9. अनुसंधान पदाधिकारी/आरक्षी पदाधिकारी/डॉक्टर की राज्यस्तरीय डायरेक्टरी तैयार करने के सम्बन्ध में:

सरकारी गवाहों की अनुपस्थिति के कारण वादों के निष्पादन में अत्यधिक विलम्ब होता है। राज्य स्तर पर अनुसंधान पदाधिकारी/डाक्टर इत्यादि राज्यस्तरीय डायरेक्टरी तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई है। इसके लिए उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से अनुसंधान पदाधिकारी,डॉक्टर एवं गवाह इत्यादि का स्थायी पता (पोस्ट ऑफिस का पता) का भी उल्लेख चार्ज शीट में दर्ज करने का अपर लोक अभियोजकों ने अनुरोध किया । वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के द्वारा बताया गया कि पी0पी0 विद्यार्थी आरक्षी उपाधीक्षक, पटना को अभियोजन कोषांग का प्रभारी बनाया गया है। यदि किसी अपर लोक अभियोजक को डाक्टर/ अनुसंधानकर्त्ता इत्यादि की उपस्थिति के संबंध में यदि कोई समस्या है तो उसे व्यवहार न्यायालय में प्रतिनियुक्त आरक्षी उपाधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी अनुमण्डल न्यायालय में प्रभारी अपर लोक अभियोजक के कार्यालय में आरक्षी निरीक्षक जाते है ताकि उनसे इस समस्या पर विचार किया जा सके। विभिन्न अनुमण्डलों मे आरक्षी उपाधीक्षकों को गवाह/अनुसंधानकर्त्ता के उपस्थापन हेतु सीधे अनुरोध किया जा सकता है। साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु ठोस कदम उठाने का भी निदेश दिया गया ।

(अनुपालन–वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना)

9. लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकों के फीस का पुनरीक्षण:

सभी लोक अभियोजकों ने पुनः इस बात की मांग की कि उन लोगों को माननीय उच्च न्यायालय के तर्ज पर ही प्रत्येक वाद में किये जाने वाले पैरवी के विरूद्ध फीस का पुनरीक्षण किया जाय, ताकि वे पूरे मनोयोग एवं प्रतिबद्धता के साथ सरकार की ओर से पैरवी कर सकें। इस संबंध में लिखित प्रस्ताव अभी तक अप्राप्त है।

(अनुपालन–लोक अभियोजक)

10. कारा से अभियुक्तों का उपस्थापन:–

इस सम्बन्ध में समीक्षा करने पर यह पाया गया कि विगत माह में दिये गये निदेश का बहुत अच्छा असर हुआ है। अभियुक्तों का उपस्थापन समयावधि में करने में होने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु सभी उपस्थित कारापीक्षकों द्वारा दूरभाष संख्या बताया गया जो निम्न प्रकार है।

क्रमांक	कारा का नाम	दूरभाष संख्या
1	आदेश केन्द्रीय कारा बेउर , पटना	9431086735
2	उप कारा फुलवारी शरीफ, पटना	9334118192
3	उप कारा ,मसौढ़ी	
4	उप कारा सिटी	
5	उप कारा बाढ़	
6	उप कारा दानापुर	9431621697

सभी कारापीक्षकों को निदेश दिया गया कि वे अभियुक्तों के उपस्थापन के कार्य को गंभीरता से लें तथा यह सुनिश्चित करें कि अभियुक्तों का उपस्थापन निर्धारित तिथि एवं समय पर न्यायालय में हो। इसके साथ ही लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक से यह अनुरोध किया गया कि यदि किसी चर्चित या गंभीर मामले में कोई लापरवाही होती है, तो इस सम्बन्ध में सूचना अधोहस्ताक्षरी को दें ताकि इस प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई की जा सके।

(अनुपालन–वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना/सभी कारापीक्षक,पटना जिला/लोक अभियोजक, पटना)

वादों के त्वरित निष्पादन में निम्नलिखित कारणों की पहचान की गयी:–

1. अनुसंधान पदाधिकारी/डॉक्टर की अनुपस्थिति:–
2. मालखाना से प्रदर्श का न्यायालय में नहीं भेजा जाना।
3. F.S.L. का प्रतिवेदन समय से नहीं आना।
4. कैदियों का ससमय उपस्थापन कारा से नहीं होना।
5. स्वतंत्र गवाहों के मन में भय का उत्पन्न होना :– इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के वादों के पहचान कर प्रतिवेदित किया जाए ताकि उन वादों को पटना स्थानान्तरित किया जाए।
6. सम्मन/वारंट का सही तरीके से तामिला नहीं होना।
7. न्यायालय खाली रहने के कारण निष्पादन में कमी।

उक्त कारणों की विवेचना की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

11. अन्यान्य

विगत बैठक में निम्नलिखित वादों के सरकारी गवाहों की अनुपस्थिति के कारण वादों के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब की सूचना दी गयी थी जिसका अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है।

1.	ST –41/2003/बाढ़ ए0डी0जे0–	I	देवनाथ श्री वास्तव, अ0नि0/डॉ पी0के0 वर्मा
2.	ST –608/2003/बाढ़ ए0डी0जे0–	III	रामानन्दन प्रसाद सिंह, ए0एस0आई0/ डॉ0 एस0एन0 वर्मा,
3.	ST –1325/1998/ ए0डी0जे0–		डॉ0 मो0 नईम/कन्हैया तिवारी, एस0आई0
4.	ST –107/2003/ ए0डी0जे0–	II	जगदीश प्रसाद आई0ओ0
5.	ST –718/2004 ए0डी0जे0–	VII	विजय कुमार, आई0ओ0ज़ी0आर0पी0 दानापुर

	ST –1021/ मोकामा		अनुसंधानकर्त्ता मुजफ्फरपुर में है नहीं आते है।
6.	ST –718/2003 ए0डी0जे0–	VII	आई0ओ0जी0आर0पी0 दानापुर
7.	ST –711/2001 ए0डी0जे0–	VII	चन्देश्वर प्रसाद सिन्हा, एस0आई मोकामा
8	ST –613/2006 ए0डी0जे0–	VII	रामबालक प्रसाद एस0आई मोकामा
9.	ST –925/2005 ए0डी0जे0–	I	कुमार अभिताभ एस0आई0/अक्षय लाल सिंह एस0आई0
10	ST –286/2004 (धनरूआ		राजेश शरण एस0आई0 लखीसराय,
11	थाना काण्ड संख्या 168/04)–		
	ST –43/2006 मनेर थाना–56/04)		रामप्रवेश यादव
12	ST –568/2005 फुलवारी थाना–		
13	ST –47/95 ए0डी0जे0–	III	बाढ
14	ST –107/2003 ए0डी0जे0–	III	जगरनान्द नाथ राय एस0आई0।
15	ST –718/2004	III	
16	ST –934/2005 ए0डी0जे0–	III	तोपो सिंह एस0आई0
17			

संबंधित गवाहों के उपस्थापन हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से अनुरोध किया गया। उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना ने बताया कि इस कार्य के लिए श्री चन्द्रशेखर विघार्थी उपाधीक्षक, पटना, को प्रभारी बनाया गया है जिनका मोबाईल नं0– 9934915044 है। इस संबंध में किसी प्रकार के असुविधा होने पर इनसे सम्पर्क करने का निदेश दिया गया है एवं अन्य अनुमण्डलों से संबंधित वादों के निष्पादन में संबंधित अनुमण्डल पुलिस उपाधीक्षक से सम्पर्क करने का निदेश दिया ताकि वे फैक्स के माध्यम् से वरीय पुलिस अधीक्षक, कार्यालय को सूचित कर सके।

सभी अभियोजकों ने कोर्ट फी/स्टाम्प की अनुपलब्धता के बारे में जानकारी दी तथा स्टाम्प उपलब्ध कराने की मांग की। व्यवहार न्यायालय परिसर में जाली स्टाम्प का कारोबार हो रहा है। इसके निराकरण हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है। गठित टास्क फोर्स को यह निदेश दिया जाता है कि स्टाम्प भेण्डर के दुकान पर न्यायालय के कार्य अवधि में छापामारी कर जाली स्टाम्प को पकड़े तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाय। छापामारी और अधिक तेज करने पर भी बल दिया गया ताकि ठोस कार्रवाई की जा सके।

(अनुपालन–वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना)

वैठक में उपस्थित श्याम प्रसाद यादव अपर लोक अभियोजन ने बताया कि दानापुर में जाली स्टाम्पों की बिकी धड़ल्ले से जारी है। कोई छापामारी नहीं की गयी है ।

(अनुपालन–अनुमण्डल पदा0 दानापुर)

* जिला पदाधिकारी ने सभी अभियोजकों को चर्चित वादों का निष्पादन युद्ध स्तर पर कराने का निदेश दिया तथा इन चर्चित वादों में जिस किसी चीज की आवश्यकता हो, उस संबंध में जानकारी देने तथा सहयोग लेने का निदेश दिया। सम्मन वारंट का फार्म छपाने हेतु गुलजार बाग प्रेस पत्र लिखा गया ।

* अभियोजकों द्वारा यह भी मांग की गयी कि जिला अभियोजन पदाधिकारी/ अनुमण्डल अभियोजन पदाधिकारी द्वारा जिस तरह नोटिसों/सम्मन का तामिला कराया जाता है, उस सुविधा का

उपयोग अभियोजकों को भी दिया जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी ने वरीय पुलिस अधीक्षक को निदेश दिया।

* न्यायालय में स्थित हाजत के पुलिस पदाधिकारी एवं आरक्षियों द्वारा कैदियों के उपस्थापन में जानबूझकर लापरवाही बरती जाती है। उस पर रोक लगाने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक को न्यायालय में स्थित हाजत में पदस्थापित आरक्षियों एवं पदाधिकारियों के स्थानांतरण करने की आवश्यकता बतायी गयी। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब इस संबंध में कोई शिकायत नहीं है।

* बाढ़ के क्रिटिकल वादों को पटना स्थानांतरण करने का निर्णय गया ।

* उप समाहर्त्ता विधि ने बताया कि स्टाम्प भेण्डर मृदुला सिंन्हा का अनुज्ञप्ति रद्द किया गया है।

* बाढ़ अनुमण्डल में 25 पैसे का फोलियों 25 रूपया में बेचा जा रहा है। जिसकी रोक थाम हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया है।

(अनुपालन–विधि शाखा, पटना)

* जिला पदाधिकारी पटना द्वारा दिपावली और छठ की शुभकामना देते हुए बैठक की कार्रवाई समाप्त की ।

(डॉ०बी० राजेन्दर)
जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक..... /विधि,पटना,दिनांक.....

प्रतिलिपि– सभी सम्बन्धित लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना एवं सभी कारा अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अगले निर्धारित बैठक में निश्चित रूप से भाग लें।

जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 3467 /विधि,पटना,दिनांक 6.11.07

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/सचिव, विधि एवं न्याय विभाग, बिहार, पटना /महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला एवं सत्र न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

5.11.2007

जिलाधिकारी,
पटना।